A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

अनुक्रमणिका

मैनुअल संख्या–1

क्र0 सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	02	03
1.01	लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्य	03
1.02	लोक प्राधिकरण/संगठन का मिशन–विजन	03
1.03	लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य/कृत्य	04
1.04	लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण, संगठन का संक्षिप्त इतिहास एवं विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा	05–17
1.05	लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें	17
1.06	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	17
1.07	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था	17
1.08	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालय के पतें	17–20
1.09	कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय	20
1.10	उत्तरांखण्ड कृषि विभाग के सृजित पदों का विवरण	21
	01– उत्तराखण्ड कृषि विभाग की पुनर्गठन अधिसूचना कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग संख्याः–956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 02 अगस्त 2003	22–33
	02– शासनादेश संख्याः–956 दिनांक 02 अगस्त 2003 की संशोधित अधिसूचना संख्याः–1254/कृषि/2004–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 28 फरवरी 2004	34–36
	03– कृषि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे को पुर्नगठित किये जाने के संबन्ध में कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 संख्याः–570/ XIII(1)/2008–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 20 अगस्त 2008	37–38
	04– कृषि विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल सम्वर्ग के संगठनात्मक ढांचे के पुर्नगठन के सम्बन्ध में कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 संख्याः–720/XIII(1)/2008–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 22 अक्टूबर 2008	39–40
	05– सिंगल विन्डो सिस्टम में न्याय पंचायत विकासखण्ड/इकाईस्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यदायित्वों के सम्बन्ध में, संख्या–763/XIII-1/2008–3/2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008	41–49

क्र0 सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	02	03
	06– स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक के पदो के पुर्नगठान विषयक कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 संख्या–188/XIII/2009–3(16)/2006 दिनांक 03 मार्च 2009	50
	07– स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वाहन चालक के संवर्गीय ढांचें के पुर्नगठन के सम्बन्ध में कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1, संख्याः–844/XII(1)2009/1(89)/2007 दिनांक 10 नवम्बर 2009	51
	08– कृषि विभाग पुर्नगठन दि0 2 अगस्त 2003 के संलग्न 1 के क्रमांक 14 पर अंकित वरिष्ठ मानचित्रक के स्थान पर वर्ग–1 तथा क्रमांक 23 पर अंकित मानचित्रक के स्थान पर टंकित है के बाद अ0कृ0से0वर्ग–2 पढा जाय सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–225/XIII(1) 2010–03(05) 2006 दिनांक 11 मार्च 2010	52
	09– कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम की अधिसूचना संख्या–481/XIII-1/2010–3(08)/2006 दिनांक 28 मई 2010	53–71
	10– कृषि विभाग (मिनिस्ट्रीयल संवर्ग) के संगठनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करते हुए संशोधित स्टापिंग पैटर्न संख्या–1164/XIII-1/2010–1(41)/2002 दिनांक 24 नवम्बर 2010	72–73
	11– कृषि विभाग मे मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 274 पदों को कार्यालयवार पद स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में संख्या–1270/XIII-1/2010–1(41)/2002 दिनांक 23 दिसम्बर 2010	74–75
	12– उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान/पदनाम संशोधन संख्या–373(1)/XXVII (7)27(2)/2011 दिनांक 16 जनवरी 2013	76

अध्याय/मैनुअल–01

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश 1875 में स्थापित किया गया था। प्रारम्भ में विभाग का कार्य केवल कृषि सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने तथा कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। वर्ष 1880 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्व किया गया। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से एक स्वतन्त्र विभाग बनाया गया और कृषि विशेषज्ञ को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 9 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही साथ उत्तराखण्ड कृषि विभाग का पुर्नगठन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–956 दिनांक 02.08.2003 से हुआ। इस प्रकार उत्तराखण्ड शासन ने कृषि विभाग के पुर्नगठन में 2609 पदों का सृजन किया। तत्पश्चात जिसकी तालिका उक्त अध्याय के प्रारम्भ में हैं। इसके पश्चात उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्याः–481 दिनांक 28.05.2010 के द्वारा सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के कुल पदों की संख्या 2491 की गयी।

1.01 लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्यः–

मध्यवतीं हिमालय में स्थित यह प्रदेश न केवल संसार के उच्चतम पर्वत श्रृखलाओं पर अवस्थित है वरन् भूगर्भ टोनोग्राफी, जलवायु , जनसंख्या, कृषि आदि की विभिन्नताओं का क्षेत्र हैं। इसके समन्वित विकास के लिए कृषि विभाग को अपना समुचित योगदान देने के लिए स्थानीय कारणों को ध्यान में रखकर अन्य प्रदेशों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुये कृषि उत्पादकता बढाना संगठन का उद्देश्य हैं।

1.02 लोक प्राधिकरण/संगठन का मिशन/विजनः–

विभाग का मिशन हैं कि परिस्थितिकी को ध्यान रखते हुये कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जाय, जिससे कि प्रदेश खाद्यानों के मामले में न केवल स्वावलम्बी हो बल्कि यथा सम्भव निर्यात कर सके। इसके लिए संगठित प्रयास करना पड़ेगा। जैसे किः–

1. कृषि उत्पादन के सामान्य स्तर को बढ़ाने हेतु कृषकों को वैज्ञानिक, तकनीकी, आधुनिक पद्वतियों जो स्थानीय दशाओं में सर्वाधिक उपयुक्त हों, अपनाने के लिए प्रेरित करना।

2. उत्तम गुणवत्ता के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी रसयनों तथा ऋण सुविधाओं के उचित उपयोग की जानकारी कृषकों को देना।

3. कृषि उपकरणों के निर्माण एवं उपलब्धता हेतु कार्यक्रम बनायें रखना।

4. उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि रोग कीट अधिनियम 1954) अनुकूलन उपान्तरण आदेश 2002, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियन्त्रण आदेश 1983 का प्रभावीकरण तथा इससे संबन्धित गठित संगठन का रख–रखाव।

5. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भूमि एव जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अर्न्तगत जल एवं मृदा संरक्षण तथा जल प्रबन्ध को जल समेटों के आधार पर कार्यान्वयन की व्यवस्था करना।

6. राज्य में बंजर भूमि विकास योजना, हरियाली, वनीकरण, बाढ़ से प्रभावित नदियों, नालों के जलागम में संरक्षण कार्य में सहयोग देना।

7. कृषि फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन, विपणन आदि सम्बन्धी ऑकड़े तैयार करना।

1.03 लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य/कृत्य

उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिए तथा कार्यक्रमों को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्राविधिक स्टाफ की व्यवस्था की गई है तथा वर्तमान में कृत्यों/कार्यो के निष्पादन हेतु कृषि विभाग में निम्नलिखित अनुभाग कार्यशील हैंः–

01. सामान्य कृषि अनुभाग।

02. स्थापना/मुख्यालय प्रशासन अनुभाग।

03. नियोजन एवं अनुश्रवण अनुभाग।

04. लेखा एवं बजट अनुभाग।

05. तकनीकी सम्प्रेक्षण अनुभाग।

05. अभियन्त्रण अनुभाग।

07. कृषि रक्षा अनुभाग।

08. बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग।

09. जैविक अनुभाग।

10. मृदा परीक्षण अनुभाग।

11. कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा अनुभाग।

12. कृषि विपणन अनुभाग।

13. न्यायालय प्रकरण अनुभाग।

14. गुणवत्ता नियंत्रण।

15. प्रशिक्षण अनुभाग।

16. आतमा अनुभाग।

1.04 लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका सक्षिप्त विवरण, संगठन का संक्षिप्त इतिहास एवं विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढॉचाः–

कृषि निदेशक, कृषि विभाग के अध्यक्ष हैं तथा अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, के सहयोग से अनुभागों का कार्य संचालन करते हैं। उपरोक्त अनुभागों में से कुछ अनुभाग क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रभावी हैं। स्थापना/मुख्यालय प्रशासन, नियोजन तथा अनुश्रवण, लेखा (बजट,गबन सम्प्रेक्षण, पेंशन) तकनीकी सम्प्रेक्षण, अभियन्त्रण, जैविक, न्यायालय प्रकरण, गुणवत्ता नियंत्रण अनुभागीय कार्य मुख्यालय से संचालित होते हैं। क्षेत्र स्तर पर संचालित हो रहे अनुभागों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

कृषि प्रशासन को राजस्व मण्डलों के अनुरूप 2 मण्डलों में विभाजित किया गया हैं। इस प्रकार गढ़वाल का प्रभारी अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक तथा कुमाऊॅ मण्डल का प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक होता हैं। यह अधिकारी अपने मण्डल में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन, एवं प्रेक्षण, कार्य करते हैं। और मण्डलायुक्त के सामान्य मार्ग निर्देशन में कार्य करतें हैं। अपने मण्डल के प्रशासनिक, कृषि कार्यक्रमों एवं वित्तीय कार्यो के निष्पादन के लिए यह अधिकारी निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं।

1. सामान्य कृषि अनुभागः–

जनपद स्तर पर कृषि विकास कार्यो के सुचारू रूप से क्रियान्वयन का उत्तर दायित्व मुख्य कृषि अधिकारी का हैं। जनपद सतर पर मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के अधीन उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्याः–481 दिनांक 28.05.2010 के द्वारा पदों का सृजन किया गया हैं। सहायक निदेशक, कृषि प्रसार, अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक), अपर कृषि प्रसार अधिकारी, कार्य संपादन में सहयोग, सहायता के लिए मुख्य कृषि अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं। मुख्य कृषि अधिकारी विकास के समूचे ढॉचें में अन्य विभागीय सहायक कृषि अधिकारियों के साथ–साथ मुख्य विकास अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करता है।

विकास खण्ड स्तर पर एक सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि निरीक्षक, कृषि प्रसार सहायक का पद सृजित है। कृषि विभाग को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अधीन ग्राम पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक जिला पंचायत के अधीन वित्तीय, कार्यकारी, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए रखे जाने के शासन के निर्णय के आधार पर कार्यदायित्वों का तदनुसार विभाजन कर दिये जाने पर विकास खण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाये गये हैं। कृषि विभाग में वर्तमान में संचालित योजनाए एकीकृत धान्य विकास, तिलहन उत्पादन, मक्का उत्पादन, बीज उत्पादन प्रशिक्षण एवं जनसम्पक्र योजना के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रम, कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, मेला, गोष्ठियों का आयोजन, जैविक मेक्रोमोड योजना के अर्न्तगत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उन्नतशील कृषि यंत्रो के प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर वितरित कृषि निवेशों का कृषकों के खेतों में प्रदर्शन एवं

प्रदर्शन परिणामों की पंजिका का रखरखाव एवं विकास खण्ड स्तर पर कृषि निवेशों के भण्डारण वितरण हेतु स्थापित बीज भण्डरों का निरीक्षण तथा सभी योजनाओं के सफलता पूर्वक संचालन में सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र पंचायत एवं मुख्य कृषि अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं। जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी कृत्यों के निर्वहन में कृषि निदेशक के साथ–साथ पंचायत व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी है।

2. मुख्यालय स्थापना/मुख्य प्रशासन अनुभागः–

इस अनुभाग में कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों एवं मुख्यालय स्थापना, मुख्य प्रशासन संबन्धी कार्यो का निष्पादन होता हैं। अनुभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नती, स्थानान्तरण, ज्येष्ठता सूचियों का रख–रखाव, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे, अनुशासनात्मक कार्यवाही, समयमान–वेतनमानों की स्वीकृति कार्यवाही, अवकाश प्रकरणों का निस्तारण, अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण, अभिलेखों के रख–रखाव एवं निर्दान आदि विभिन्न स्थापना कार्यो का संपादन होता है। अनुभाग में कार्य निष्पादन हेतु कार्यालय सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, के पद सृजित हैं। उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में अनुभाग के कर्मचारी कार्य करते हैं। उक्त अनुभाग के कृत्यों के निर्वहन हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) के प्रति उत्तरदाई हैं तथा उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) अपर कृषि निदेशक/कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं।

3. नियोजन तथा अनुश्रवण अनुभागः–

इस अनुभाग में विभाग की समस्त योजनाओं के नियोजन एवं अनुश्रवण से संबन्धित कार्य होता हैं। नियोजन सहायक विभिन्न योजनाओं को तैयार करने में सहायक निदेशक (नियोजन) को सहयोग प्रदान करते हैं तथा संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में उक्त अनुभाग में योजनाओं का कार्य निष्पादित होता है। अनुभाग मे कृत्यों के निवर्हन हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं।

4. लेखा एवं बजट अनुभागः–

वित्त एवं लेखा नियंत्रक के सफल नियोजन में उक्त अनुभाग का कार्य सम्मादित होता हैं। इस अनुभाग में लोक लेखा समिति, पेंशन बजट एवं व्यय, कार्यालय भवन एवं गोदामों का किराया, कालातिरोहित बिलों पर पूर्व सम्प्रक्षा स्वीकृति, उत्तरांखण्ड कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों, इकाइयों, प्रक्षेत्रों का सम्प्रेक्षण, महालेखाकार सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों का निस्तारण, महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित लेखों से विभाग के आय–व्यय का मिलान करना, गबन, दुविर्नियोग एवं बकाया मामले, विभाग के उपयोग हेतु विभिन्न सामग्रियों मे क्रय आदि विभिन्न कार्य निष्पादित होते हैं। अनुभाग के लिए सहायक लेखाकार, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी के पद सृजित हैं। जिनके माध्यम से निदेशालय स्तर से अनुभाग का कार्य

निस्तारित होता है जनपद स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के माध्यम से तथा मण्डलीय कार्यालय में सहायक लेखाकार, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी के माध्यम से लेखा कार्यो का निष्पादन होता हैं। लेखा संबन्धी कार्यो के प्रति वित्त एवं लेखा नियंत्रक कृषि निदेशक एवं शासन के प्रति उत्तरदाई हैं।

5. तकनीकी सम्प्रेक्षण अनुभागः–

इस अनुभाग का कार्य राज्य भूमि उपयोगिता परिषद के कार्यो का निष्पादन, तकनीकी सम्प्रेक्षण तथा जलागम प्रबन्धन एवं अन्य विभिन्न विभागीय संचालित योजनाओं की प्रगति सूचनाओं का संकलन तथा प्रगति प्रतिवेदनों के प्रेषण का हैं। अनुभाग के कार्य निष्पादन हेतु अनुभाग में अनुरेखक, मानचित्रक, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक निदेशक (नियोजन) का पद सृजित हैं। उप कृषि निदेशक (तकनीकी सम्प्रेक्षण) अनुभाग के कृत्यों के निवेदन हेतु कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं। जनपद स्तर पर सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्ध तकनीकी सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनो के निस्तारण के प्रति उप कृषि निदेशक (तकनीकी सम्प्रेक्षण) एवं कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं।

6. अभियंत्रण अनुभागः–

इस अनुभाग में विभिन्न प्रयोगशालाओं के स्थापना संबन्धी कार्य यथा भवन निर्माण, मरम्मत संबन्धी कार्यो के साथ–साथ प्रयोगशालाओं हेतु मशीनरी, उपकरण, कृषि रक्षा (उपकरण), कृषि यंत्रों, पॉलीहाउस, स्प्रिकलर सेट, वाटर लिफ्टिंग पम्प, ट्रैक्टर क्रय आदि अभियन्त्रण संबन्धी कार्यो का निस्पादन होता हैं। अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी, सहायक निदेशक (अभियंत्रण) हैं। उक्त अधिकारी अपने कृत्यों के निवर्हन हेतु कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं। शासन के कार्यालय ज्ञाप–1340/कृषि/1(225) 02 दि0 7 नवम्बर 2003 मे द्वारा विभिन्न प्रयोगशाला उपकरण, मशीनरी, कृषि रक्षा यन्त्रों के स्पेयर पार्टस एवं स्प्रिकलर सेट क्रय के संबन्ध में क्रय समिति का गठन किया गया हैं।

7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अनुभाग :–

वर्षा की बूंदो से भूमि का क्षरण होता हैं तथा मृदा उत्पादकता प्रभावित होती हैं। जल बहाव से भूमि का कटाव होता हैं। इन समस्याओं के समुचित उपाय करने के लिये भूमि एवं जल संरक्षण कार्य जल समेटवार किया जाता हैं। कृषि एवं भूमि संरक्षण अनुभाग जो भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत दिये गये आदेशों के अनुसार प्रदेश में वाटर शेड कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित डी0पी0ए0पी0, डी0डी0पी0 तथा हरियाली परियोजनायें ग्रामीण स्तर इकाई/विकासखण्ड समितियॉ, ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें वाटर शेड अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जाता हैं।

वाटर शेड के संरक्षण में प्रदेश में कई उपाय किये जाते हैं जैसे कि भूमि का सर्वेक्षण करके भूमि की कैपेबिलिटी के अनुसार नक्शे तैयार करना। पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर भूमि में वनीकरण के साथ जल बहाव रोकने का प्रबन्ध, सहायक नालों में छोटे चैक डेम का निर्माण, कृषि योग्य भूमि में सीढ़ीदार खेतों का समतलीकरण तथा सुद्ढीकरण, तथा समयानुसार फसलों का चुनाव करना जिससे अत्यधिक वर्षा के समय खेत आच्छादित रहें। सहायक नदियों तथा नालों के जल एकत्र करके सिचांई करना। मैदानी क्षेत्र में चैक डेमों का निर्माण, समतलीकरण, कन्टूर पौध, तटबन्धों का निर्माण करना। प्रदेश में यह कार्य अत्यन्त विस्तृत है। इसके लिए जल समेट इकाइयॉ स्थापित की गई हैं तथा अन्य विभागों का भी सहयोग इस कार्यक्रम में लिया जाता हैं। कृषि विभाग के पुर्नगठन उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्याः–481 दिनांक 28.05.2010 से उत्तराखण्ड में कृषि रक्षा कार्यक्रम हेतु 35 कृषि एवं भूमि सरंक्षण इकाइयों एवं पदों का सृजन में किया गया हैं। कृषि एवं भूमि सरंक्षण इकाइयॉ '' प्रोजेक्ट मोड'' में अर्थात जहॉ भारत सरकार या अन्य श्रोतों से वित्तीय/परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होगी, उन्हीं जल समेट क्षेत्रों में इन इकाइयों का मुख्यालय शिफ्ट होता रहेगा। जनपद स्तर में इकाइयॉ मुख्य कृषि अधिकारी के नियंत्रण में रहेगी। कार्य सम्पादन में सहायता हेतु इकाई स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1, 2 एवं 3, कनिष्ठ अभियन्ता, मानचित्र, अनुरेखक के पद सृजित हैं। तथा कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी कृषि निदेशक के साथ–साथ जिला पंचायत के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

8. बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभागः–

बीज उत्पादन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में राज्य में 9 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र स्थापित है जिनका विवरण निम्नवत हैं।

क्र0सं0	जनपद	प्रक्षेत्र	कृषि क्षेत्रफल (हे0) में
01	02	03	04
1	ऊधमसिंह नगर	1. खटीमा	32.49
		2. मटकोटा	10.00
2	अल्मोड़ा	1. सरियापानी	5.20
		2. मनारवाली	3.30
3	पिथौरागढ़	थल	3.70
4	देहरादून	ढकरानी	14.86
5	रूद्रप्रयाग	पैवालिया	4.85
6	टिहरी	नौथा	3.74
7	उत्तरकाशी	सिरौर	5.20

राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 83.34 हैक्टेयर है, जिन पर सामान्य एवं आर्गिनिक बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। जनपदों की मॉग के अनुसार बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बीज आपूर्ति संस्थाओं यथा उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम, पन्तनगर, राष्ट्रीय बीज निगम एवं भारतीय राज्य निगम से समयान्तर्गत बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर कृषकों में वितरण करना। राज्य के कृषि प्रक्षेत्रो की शस्य योजना के अनुसार जनक, आधारीय बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, भारत

सरकार से आवंटित जनक बीजों का समयान्तर्गत प्राप्त कर राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाना, उत्पादित बीजों को विधायन के पश्चात पैकिंग कराकर जनपदों के कृषकों को मुख्य कृषि अधिकारी के माध्यम से उपलबध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का दायित्व निदेशालय बीज प्रक्षेत्र अनुभाग का हैं। उक्त अनुभाग का कार्य तकनीकी स्टाफ के सहयोग से सहायक निदेशक (निवेश) सम्पादित करते हैं। सहायक निदेशक (निवेश) अनुभाग के कृत्यों के निर्वहन हेतु कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं। जनपद स्तर पर बीजों का वितरण सुनिश्चित कराने का दायित्व मुख्य कृषि अधिकारी का है। विभिन्न स्तरों से उठाये गये बीजों की ढुलाई व्यय भार जनपद के बीज भण्डारों तक कृषि विभाग वहन करता हैं तथा ढुलाई व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु शासन स्तर से राजसहायता का प्राविधान हैं। जनपद स्तर पर पूर्ति भण्डार प्रभारी कृषि निरीक्षक पूर्ति वर्ग–2 कार्यरत हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, चिन्यालीसौड़ जनपद–उत्तरकाशी में स्थापित था। उक्त केन्द्र अब कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्व विद्यालय, पन्तनगर को कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना हेतु स्थानान्तरित किया गया है। कुमांऊ मण्डल के हल्द्वानी में सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित है। जहॉ पर मुख्य रूप से रबी, खरीफ, एवं जायद की ऋतु में जलवायु एवं मृदा के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के प्रजातिय शस्यात्मक रसायन कवक एवं कीट संबन्धी अनुकरणीय प्रयोग किये जाते है ताकि इन फसलों से अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने की विधि तथा खेती में आने वाली कठिनाईयों का समाधान करके कृषकों को नवीनतम उपलब्धियों से अवगत कराया जा सकें। इस केन्द्र पर श्रेणी–2 का एक अधिकारी तैनात हैं, जो अपने कार्य के लिए कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं।

9. जैविक अनुभागः–

इस अनुभाग में जैविक कार्यक्रम 2001–02 से संचालित हो रहा हैं। इसके तहत प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में एक–एक जैविक ग्राम का चयन किया गया तथा इसमें उस गॉव के 15 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण देकर उनके यहॉ बीडी कम्पोस्ट, वर्मी कल्चर, सी0पी0पी0 एवं तरल खाद पूर्ण अनुदान पर बनवाई गयी तथा इसका प्रदर्शन विभन्न फसलों में कराया गया। आगे के वर्षो के लिए प्रत्येक वर्ष दो–दो गॉवों का चयन किया गया। इस प्रकार अब तक प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 7–7 गॉवों का चयन कर उपरोक्त योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई हैं। निदेशालय स्तर पर अनुभाग में कार्य निष्पादन सहायक कृषि अधिकारी जो इस कार्यक्रम के प्राविधिक अधिकारी है के माध्यम से संयुक्त कृषि निदेशक (जैविक) कृषि निदेशक के प्रति उत्तरदाई हैं तथा जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि निदेशक प्रति उत्तरदाई हैं।

10. मृदा परीक्षण अनुभागः–

प्रदेश में फसलोत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि निवेशों जैसे उन्नत प्रजातियों के बीजों के प्रयोग, रसायनिक बुवाई, फसलों की सिचांई तथा रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग एवं फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्वि तो हुई हैं, परन्तु उपरोक्त कृषि निवेशों में उर्वरकों के सन्तुलित रसायनिक प्रयोग की दिशा में वाछित प्रगति नही हो सकी, जिसके कारण एक तरफ जहॉ फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वॉछित वृद्वि नहीं हो सकी हैं वही दूसरी तरफ मृदा के भौतिक/रसायनिक एवं जैविक गुणों में भी परिवर्तन होने के

फलस्वरूप मृदा उत्पादकता तथा स्वास्थ्य में गिरावट की परिलक्षित हुई हैं, इसके वर्तमान परिप्रेक्ष में यह अपरिहार्य है कि कृषकों के खेतों का मृदा परीक्षण कराने के उपरान्त विश्लेषण परिणामों के आधार पर किसानों को विभिन्न फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की संस्तुति की जाय, ताकि फसलों की उत्पादकता में वृद्वि के साथ ही साथ मृदा उत्पादकता मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार हो सके। वैज्ञानिक खेती में मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित रखते हुये अधिक उत्पादन करना वर्तमान समय की मूलभूत आवश्यक हो गयी है, किन्तु यह तभी सम्भव है, जब कृषक अपने खेत की मिट्टी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच कराकर मृदा के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणों की जानकारी करें। तद्नुसार ही सन्तुलित उर्वरकों एवं जीवाशं खादों का फसल विषेष में आवश्यकतानुसार प्रयोग करें। मृदा परीक्षण कराने से कृषकों को खेत की मृदा के गुणों एवं कृदा स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के उपायों की जानकारी हो जाती हैं, तथा विश्लेषण परिणाम के आधार पर विभिन्न फसलों हेतु सन्तुलित उर्वरकों की मात्रा का पता चलता हैं, जिसके फलतः फसल विषेष की आनुवांशिक उत्पाादन क्षमता के समतुल्य उत्पादन लेने में कृषक सक्षम हो सकें।

समस्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें वर्ष 1993–94 में कृषि पॉली क्लिनिक योजनान्तर्गत सुसज्जित की गई हैं। जिसके अर्न्तगत मृदा परीक्षण से संबन्धित आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक उपकरण प्रयोगशाला को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रयोगशालाओं मे मुख्य रूप से विभिन्न पोषक तत्वों यथा जीवाशं कार्बन, नाईत्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैगनीज, एवं बोरन भालीब्डेनम का विश्लेषण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त मृदा अभिक्रिया (पी0एच0) विद्युत संवाहकता (ई0सी0), जिप्सम आवश्यकता, चूना आवश्यकता, आदि की जानकारी विश्लेषण कराने से हो जाती हैं।

इन विशेष कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें कृषि विभाग में प्रभावशील हैं। जिसके अधीन प्रत्येक जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रभारी मृदा वर्ग–1 का एक पद, मृदा विश्लेषक वर्ग–2 के दो पद तथा सहा0 मृदा विश्लेषक वर्ग–3 के दो पद तथा चतुर्थ श्रेणी प्रयोगशाला परिचारक के तीन पद स्वीकृत हैं।

जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं में अनुभागीय कर्मचारी लक्ष्यों के अनुसार कृषकों के खेतों से मृदा नमूने विश्लेषण हेतु लाते हैं। जिनका परीक्षण करने पर मृदा परीक्षण उर्वरक संस्तुति पत्र कृषकों को प्रेषित किये जाते हैं। तद्नुसार कृषक मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करते हुये उत्पादकता में वृद्वि ला सकते हैं कृषक यदि अपने खेतों की मिट्टी विश्लेषण हेतु स्वयं प्रयोगशालाओं में लाये तो उसका विश्लेषण निःशुल्क होता है एवं अन्य साधन से लाये गये नमूनों का वर्तमान में विश्लेषण शुल्क 5 नाली से कम भूमि वाले का 7.00 रू0 प्रति नमूना है एवं 5 नाली से अधिक भूमि के लिए 10.00 रू0 प्रति नमूना शुल्क निर्धारित है।

अन्य संस्थाओं के नमूनों का मृदा परीक्षण का शुल्क 20.00 रू0 प्रति नमूना निर्धारित हैं। सूक्ष्म तत्वो के परीक्षण का शुल्क 51.00 प्रति नमूना है। जिसके विश्लेषण की सुविधा क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में विद्यमान हैं। मृदा नमूनों के परीक्षण हेतु खरीफ

एवं रबी में सचल वाहन द्वारा कृषकों के ही खेत से मृदा नमूने लेकर उनका विश्लेषण क्षेत्र स्तर पर ही किया जाता है तथा संस्तुति पत्र में एक–एक सचल वाहन की सुविधा भी कृषकों के हित में विभाग द्वारा अपनायी गई हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर मृदा परीक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत श्रीनगर, अल्मोड़ा, रूद्रपुर में क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जहॉ पर सहायक निदेशक श्रेणी–2 के एक–एक पद सृजित हैं तथा उनके अधीन विश्लेषण एवं सहायक विश्लेषण के पद भी स्वीकृत हैं निर्देशिका के प्रारम्भ में पदो की स्वीकृति स्थिति पृथक से प्रस्तुत की गई हैं।

अ. राज्य स्तरीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (उर्वरक/कीटनाशी):–

प्रदेश में उक्त प्रयोगशालायें, ऊधमसिंह नगर एवं श्रीनगर, गढ़वाल में अधिसूचित की गई हैं, जहॉ पर उर्वरक अधिनियम एवं कीटनाशी अधिनियमों के तहत उर्वरकों/कीटनाशी नमूनों के गुण नियंत्रण विश्लेषण की सुविधा हैं। क्षेत्रीय प्रयोगशाला के तकनीकी स्टाफ द्वारा ही उर्वरक विश्लेषण का कार्य कराया जा रहा हैं। कीटनाशी विश्लेषण का कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित हैं। तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित हैं।

ब. बीज परीक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला:–

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द, हल्द्वानी में बीज परीक्षण का गुण नियंत्रण विश्लेषण कार्य पूर्व की भांति किया जा रह हैं। गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं से कृषकों को मानक स्तर के कृषि निवेश उपलब्ध करने में सहायता मिलती हैं। उर्वरक/कीटनाशी/बीज निरीक्षकों द्वारा अधिनियमों के तहत नमूना ग्रहित का कार्य खरीफ/रबी में कराया जाता हैं। इन्हीं नमूनों का विश्लेषण का कार्य उक्त प्रयोगशालाओं में किया जाता हैं। प्रयोगशालाओं के नियंत्रण की व्यवस्था संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) के अधीन हैं।

11. कृषि सांख्यिकी अनुभाग:–

कृषि सांख्यिकी का मुख्य उदेश्य कृषि उपज की अद्यतन स्थिति को आंकते हुए उसके विभिन्न पहलुओं से राज्य व भारत सरकार को समय–समय पर अवगत कराना है, ताकि कृषि संबन्धी विषयों पर नीति संबन्धी निर्यण लिये जा सके। इस कार्य के लिये मुख्यालय पर संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी एवं फसल बीमा) नियुक्त हैं और उनकी सहायता हेतु उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक (कृषि सांख्यिकी) के पद सृजित हैं। प्रदेश के मैदानी जनपद में अपर सांख्यिकी अधिकारी के दो–दो पद जिलाधिकारी के अधिष्ठान में एवं तहसील स्तर पर राजस्व निरीक्षक एवं चैनमैन के 13–13 पद स्वीकृत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य पर्वतीय जनपदों में अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 के एक–एक पद जिलाधिकारी के अधिष्ठान तथा कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेषक कम संगणक के कुल 18 पद तहसील स्तर पर स्वीकृत किये गये हैं। ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपदों के लिए कृषि सांख्यिकी सुधार की योजना के अन्तर्गत भी एक–एक पद अपर सांख्यिकी अधिकारी के स्वीकृत हैं।

राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले पड़ताल एवं फसल कटाई से संबन्धित कार्यो के समापन में सामंजस्य स्थापित हो इस उदेश्य से तहसील स्तर पर चयनित गॉवों में जायद, खरीफ, रबी, में पड़ताल कार्य फसल कटाई कार्य को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व पटवारी/राजस्व निरीक्षक का हैं। तहसील स्तर पर विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं भूमि उपयोगिता के सही आकड़े प्राप्त हो सके इसके लिए कनिष्ठ निरीक्षक/अपर सांख्यिकी अधिकारी उन्हें पड़ताल निरीक्षण एवं फसल कठाई हेतु आवंटित गॉवों में मौक पर निरीक्षण करते जॉच रिर्पोट संयुक्त कृषि निदेशक को प्रेषित करते हैं। क्राप कटिंग हेतु चयनित अन्य गॉवों में जनपद कें कार्यरत अधिकारियों को कटाई स्तर पर निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन पर निर्देशित करने की भी कार्यवाही करते हैं। पड़ताल कार्य एवं फसल कटाई से संबन्धित राजस्व विभाग द्वारा तैयार किये गये जायद, खरीफ एवंरबी की जिन्सवार एवं मिलान खसरों की जॉच का भी उत्तरदायित्व इन कर्मचारियों का हैं।

उत्तराखण्ड गठन के पश्चात कृषि सांख्यिकी का समस्त कार्य मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) के प्रावैधिक नियंत्रण में सम्पन्न होता है।

अ. फसल बीमाः–

प्रदेश मे कृषकों के हित में फसल बीमा योजना आरम्भ की गई है। जिसका उदेश्य कृषि उत्पादन में दैवीय आपदाओं से हुई क्षतिपूर्ति हेतु फसलों का बीमा कराना है। इस हेतु प्रीमियम की दर भारत सरकार तथा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित है।

12. कृषि विपणन अनुभागः–

उत्तर प्रदेश में विपणन विभाग अस्तित्व में हैं। उत्तराखण्ड गठन पर कृषि विपणन कृषि विभाग के अनुभाग के रूप में कार्य करता है। पुनर्गठन अधिसूचना 02.08.2003 के अधीन उक्त अनुभाग में 59 पदों का सृजन हुआ है। जिसमें निदेशालय स्तर पर 10 पद, मण्डल स्तर पर 04 पद, जनपद स्तर पर 18 पद तथा मण्डी स्तर पर 27 पद सृजित हैं।

कृषि उपज के उत्पादों को उपभोक्ता तक निश्चित स्थान, समय तथा उचित मूल्य पर पहुचाने से संबद्व क्रियायें कृषि विपणन कहलाती है। इस प्रणाली में उत्तम विपणन वयवस्था का उद्देश्य कृषक, व्यापारी तथा उपभेक्ता के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करना हैं, जिससे कृषक उत्पादन बढ़ाने तथा व्यापारी विपणन के प्रति प्रेरित हों। अनुभाग द्वारा कृषि बाजारों में सामंजस्य बनाये रखने के उदेश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। जिन्हें मण्डी परिषद/समिति के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। अनुभाग द्वारा निम्न प्रकार विपणन कार्य किये जाते हैं।

1. विपणन परिज्ञान
2. वाणिज्यात्मक वर्गीकरण
3. विपणन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान

एगमार्क वर्गीकरणः–

भारत सरकार के कृषि उत्पादक वगीकरण एवं चिन्हिकरण अधिनियम 1937 के प्राविधानों के अनुसार खाद्यानों में मिलावट की कुप्रथा को दूर करने के लिए कृषि पदार्थे की नमूना जॉच कर एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला द्वारा वर्ग निर्धारित कर व्यापारियों को पैकिंग हेतु निर्देशित किया जाता हैं। वर्तमान में राज्य एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालायें क्रमशः गढ़वाल के देहरादून एवं कुमांऊ मण्डल के हल्द्वानी में ए0पी0जी0एम0 अधिनियम 1937 जनरल ग्रेडिंग एवं माक्रिग नियम 1986 के तहत कार्य करने हेतु अनुमोदित है। इन प्रयोगशालाओं में केन्द्रित कृषि पदार्थो, खाद्य तेलों, घी, पिसे मसाले, मक्खन, गेहूँ आटा, बेसन, और शहद के विश्लेषण का कार्य एवं उसके ग्रेड निर्धारण हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हैं कृषि पदार्थो का विश्लेषण उनके रासायनिक गुणों एवं भौतिक गुणों के आधार पर भारत सरकार के मानकों के अनुसार किया जाता हैं। विकेन्द्रित कृषि पदार्थो जैसे चावल, दाल, गुड़, अंडा, आलू, सेब, अत्यादि का एगमार्क वर्गीकरण का निर्धारण उनके भौतिक गुणों के आधार पर जॉच कर किया जाता हैं। एगमार्क वर्गीकरण निर्धारित शुल्क लेकर किया जा है।

13. न्यायालय प्रकरण अनुभागः–

इस अनुभाग में विभिन्न प्रकार के न्यायालय वादों पर विभागीय सतर की कार्यवाही जैसे कि कर्मचारियों द्वारा योजित वादों पर प्रति शपथ पत्र योजित करना, पारित अंतरिम एवं अन्तिम आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करना, निर्णित वादों पर प्रशासकीय विभाग/न्याय विभाग की राय अनुसार अपील योतिज करना एवं गबन से संबन्धित मामलों में विभागीय कर्मचारियों के विरूद्व न्यायालयों में वाद योजित करना आदि कार्यो का निस्पादन अनुभाग द्वारा सुनिष्चत किया जाता हैं। वर्तमान में उक्त अनुभग का कार्य मुख्यालय स्थापना/मुख्य प्रशासन अनुभाग में अपर कृषि निदेशक के नियंत्रण में सम्पादित हो रहा है तथा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के स्तर पर वादों के समुचित पैरोकारी हेतु तथा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के स्तर पर वादों के समुचित पैरोकारी हेतु मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को उत्तरदायी बनाया गया हैं

14. कृषि रक्षा अनुभागः–

फसलोत्पादन में कृषि रक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान हैं। इस हेतु विभाग में अलग से कृषि रक्षा अनुभाग की स्थापना की गयी है। इस अनुभाग के अनुभाग के अर्न्तगत जनपद सतर पर कृषि रक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया गया विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से कृषि रक्षा संबन्धी कीट रोग, खरपतावर, चूहा नियंत्रण आदि सर्वेक्षण एवं निवारण के साथ कीट रोग, खरपतावार, जैव रसायन, कृषि रक्षा उपकरणों की समय से पूर्ति व्यवस्था का कार्य तय किया जाता हैं।

विकास खण्ड स्तर पर सहायक कृषि रक्षा अधिकारी एवं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद सृजित हैं। सहायक कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि रक्षा इकाई का भी प्रभारी हैं। विकास खण्ड स्तर पर कृषकों को कृषि रक्षा संबन्धी तकनीकी जानकारी, विभिन्न

प्रकार के प्रशिक्षणों एवं प्रदर्शनों को आयोजित कर उपलब्ध कराना उनका दायित्व हैं। गॉव स्तर पर कीट रोग सर्वेक्षण कर कृषि रसायनों एवं कृषि रक्षा उपकरणों के प्रयोग संबन्धी सावधानियॉ आदि की जानकारी देने का भी उनका उत्तरदायित्व है। समयावधि के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा देय अनुदानित मूल्य पर कृषि रक्षा रसायनों जैव उर्वरकों एवें कृषि रक्षा उपकरणों को कृषकों को उपलब्ध कराना भी विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों का दायित्व है। विकासखण्ड स्तर पर कृषि रक्षा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचलान एवं सम्पादन हेतु सहायक कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि अधिकारी एवं पंचायतीराज प्रबन्धक व्यवस्था के तहत क्षेत्र पंचायत के प्रति भी उत्तरदायी है। निदेशालय स्तर पर विभन्न कृषि निवेशों यथा कृषि रक्षा रसायन, बॉयो फर्टीलाजर, जिंक सल्फेट, (उर्वरक), एवं गनी बैग आदि के क्रय हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1341/कृषि/2003–05(25) 03 दिनांक 07.11.2003 के द्वारा क्रय समिति का भी गठन किया गया हैं।

15. गुणवत्ता नियंत्रण अनुभागः–

इस अनुभाग में बीज उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों के गुण नियंत्रण संबन्धी कार्यो एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं मृदा परीक्षण प्रयोगाशालाओं से संबन्धित कृत्यों का निवर्हन होता है। उक्त अनुभाग के कृत्यों के सापेक्ष उर्वरक नियंत्रण आदेश, कीटनाशी अधिनिनियम, बीज अधिनियम पर निम्न प्रकार से सूक्ष्म प्रकाश डाला जा रहा है।

क. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 :–

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 से प्रयोग में आया। यह आदेश भारत सरकार के कृषि एवं सहाकारिता विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत पारित किया गया। समय–समय पर इसमें परिर्वतन होते रहें। पिछला संशोधन 1985 में हुआ। तदोपरान्त नये आदेश भी हुये और 2003 तक के आदेशों का संकलन का विवरण निम्नवत दिया जा रहा है। उर्वरक नियंत्रण आदेश का मुख्य उदेश्य उर्वरकों के मूल्य पर नियंत्रण रखना, रख–रखाव की अवधि, स्टॉक की उपलब्धता, विभिन्न प्रदेशों में वितरण, उद्योगपतियों के रजिस्ट्रेशन, उर्वरकों वितरण लाईसेन्स निर्गत करना, उर्वरकों की गुणवत्ता की जॉच, मिश्रित उर्वरकों पर नियंत्रण तथा उर्वरक उत्पादन पर आवश्यक प्रतिबन्ध आदि। उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन विभागीय अधिकरियों को आवश्यक अधिकार दिये गये है। अतः विभागीय अधिकरी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन की प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अधिकारिता क्षेत्र में करते हैं। उत्तराखण्ड शासन कृषि विपणन अनुभाग की संशोधित अधिसूचना संख्या– 1458/कृषि/003–04 दिनांक 09.12.2003 के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा–27ए के अर्न्तगत निर्धारित अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों का उर्वरक निरीक्षक दल का सदस्य द्योषित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1673/कृषि/2003/ 1(241)/2002 दिनांक 5 मार्च 2003 के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड–27 के अर्न्तगत नियुक्त उर्वरक निरीक्षक द्वारा आहरित नमूने संबन्धित आदेश की अनुसूचि–2 में दी गई प्रक्रिया अनुसार विश्लेषित किये जायेगें।

1. उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रूद्रपुर

2. उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पौड़ी (श्रीनगर)

तथा गुण नियंत्रण आदेश 1965 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा–29(ए) के अधीन प्रयोगशालाओं में उर्वरक विश्लेषक नियुक्त किये गये हैं।

ख. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि रोग कीट अधिनियम 1968) अनुकूलन उपान्तरण आदेश 2002:–

इस एक्ट के अर्न्तगत समस्त भारत आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इस एक्ट को पारित किया तथा केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की स्थापना की और कीटनाशक प्रयोगशालाओं की स्थापना कीटनाशक रसायनों की गुणवत्ता, उनके प्रभाव आदि की जानकारी के सापेक्ष की। प्रदेश में फसल सुरक्षा अनुभाग कृषि विभाग के अर्न्तगत स्थापित हैं। यह अनुभाग कीटों और बीमारियों से फसलों की रक्षा के लिए व्यापक सर्वेक्षण, उपचार तथा दवाइयों का प्रबन्ध करता हैं। कीटनाशी अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग ने अपने संशोधित अधिसूचना संख्या–1459/कृषि/2003 दिनांक 09.12.2003 के द्वारा अधिनियम के अधीन गठित कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम–26 के अर्न्तगत निर्धारित अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन राज्य स्तरीय कीटनाशी निरीक्षक दल का सदस्य द्योषित किया है। जो अपने अधिकारिता क्षेत्र में अधिकारों का प्रयोग करते हैं। उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग की संशोधित अधिसूचना संख्या–1441/कृषि/2003 दिनांक 05.12.2003 के द्वारा कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रस्तर–9 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड प्रदेश में लाइसेन्स जारी करने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) को ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' नियुक्त किया गया हैं। उक्त नियम की धारा–15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय ने अनुज्ञापन प्राधिकारी के धारा–13 के अर्न्तगत दिये गये निर्णय के विरूद्व कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को ''अपील प्राधिकारी नियुक्त किया हैं।

ग. बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983:–

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन भारत सरकार ने बीजों की गुणवत्ता एवं विनियमन के लिये यह अधिनियम बनाया हे इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में हैं। इस एक्ट के अर्न्तगत केन्द्रीय बीज समिति गठित की गई हैं तथा बीज की जॉच के लिए केन्द्रीय तथा राज्य प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं। एक्ट का उदेश्य बीजों की किस्में अधिसूचित करने, इसके विक्रय विनियमन, प्रमाणिकरण करने का हैं तथा बीज विश्लेषक, बीज निरीक्षक, बीज के नमूने लेना आदि का प्राविधान हैं। उपरोक्त अधिनियम को संशोधित करते हुये बीज नियम 1968 पारित किया गया तथा केन्द्रीय बीज समिति के कृत्यों को परिभाषित किया गया तथा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला प्राप्त बीजों की गुणवत्ता के संबन्ध में आकड़े संग्रहित करना सम्मिलित किये गये। इसके अर्न्तगत बीज प्रमाणन अधिकरण के कृत्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें चिन्ह या लेबल लगाना आदि का प्राविधान किया गया।

उत्तराखण्ड सरकार की कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग अधिसूचना संख्या–1440/कृषि/03–04 दिनांक 05.12.2003 के द्वारा आवश्यक वसतु अधिनियम 1955 की धारा–3 के अधीन बनाये गये बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम–11 के अधीन मुख्य कृषि अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' नियुक्त किया गया हैं। ऐसे अनुज्ञापन अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर करेगें। राज्यपाल महोदय ने कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को ''अपील प्राधिकारी'' नियुक्त किया है। नये बीजों के विमोचन में उत्तराखण्ड सरकार ने वन एवं ग्राम्य विकास शाखा कृषि विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4823/वन एवं ग्राम्य विकास/कृषि /04–05 दिनांक 04.03.2005 द्वारा बीज अधिनियम 1966 की धारा–3(5) के अधीन वैज्ञानिकों की समिति का नामांकन कर दिया हैं संशोधित अधिसूचना संख्या–1086/कृषि/03/ 05(26)2003 दिनांक 05.12.2005 के द्वारा बीज अधिनियम की धारा–1 के अधीन बनाये गये बीज नियंत्रण आदेशा 1983 के नियम–12 के अधीन पदाधिकारियों को बीज अधिनियम के अर्न्तगत बीज निरीक्षक दल नामित किया है। जो अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अर्न्तगत विभिन्न बीज विक्रय केन्द्रों से बीज नमूने लेकर विश्लेषण हेतु भेजते है यदि किसी विक्रेता का बीज मानकों के अनुरूप नही होता है तो बीज अधिनियम के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी उनके विरूद्व अपेक्षित कार्यवाही करते हुए लाइसेन्स निरस्तिकरण/दण्डन की कार्यवाही उक्त अधिनियम के अर्न्तगत करते हैं।

16. भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र (प्रशिक्षण अनुभाग):–

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण की समस्या विकट हैं। कृषि योग्य भूमि जल संरक्षण की समसयाओं से बुरी तरह ग्रसित हैं। वनो के अनाधिकृत /अत्याधिक दोहन होने से तथा ढालदार भूमि होने के कारण भूमि का कटाव तथा भूस्खलन एक ज्वलन्त समस्या हें, जिससे कृषि उपज पर अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ता है। कृषि योग्य भूमि से भूमि उर्वरा शक्ति जल बहाव के कारण नष्ट हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु कृषि विभाग का कृषि एवं भूमि संरक्षण अनुभाग भूमि कटाव नियंत्रण के लिए तकनीक अपनाकर समस्या के निराकरण करने में सत्त प्रयत्नशील हैं।

भूमि कटाव नियंत्रण के स्थान–मजखाली जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रो का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं भूमि संरक्षण अनुभाग से संबन्धित वर्ग–1, वर्ग–2 तथा वर्ग–3 के कर्मचारियों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों पर समय–समय पर कृषकों को भी एक दिवसीय तथा दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाने की भी व्यवस्था है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में अभियन्त्रण मृदा विज्ञान, शस्य विज्ञान, उद्यान, वन एवं तृण विज्ञान एवं प्रसार विषय का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता हैं। विभाग का प्रयास रहता है कि समय–समय पर पाठ्क्रमों की समीक्षा करते हुये नवीनतम तकनीकी से ओत–प्रोत पाठ्क्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाये, ताकि क्षेत्रीय कर्मचारी नवीनतम तकनीकी का उपयोग भूक्षंरण रोकने में अपने कार्यक्षेत्रों में कर सकें। दोनो प्रशिक्षण केन्द्रो पर प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन हेतु पुस्तकालय की व्यवस्था भी सुलभ हैं तथा प्रशिक्षण केन्द्र में प्राशिक्षार्थियों के ठहरने हेतु निःशुल्क आवास की व्यवस्था भी सुलभ हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों की कार्य व्यवस्था हेतु

केन्द्राध्यक्ष श्रेणी–2 के पद सृजित हैं तथा प्रशिक्षको के पद भी सृजित हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शेड्यूल निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा माह–मार्च में आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता हैं।

1.05 लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायेंः–

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाता हैं तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता है।

1.06 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्थाः–

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई/ जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता हैं। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73 वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत है।

1.07 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्थाः–

जन सेवाओं एवं शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठाये गये प्रश्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों मे भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल सम्बन्ध न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं, जॉचोपरान्त गुणदोष के आधार पर शिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता हैं।

1.08 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कर्यालयों के पतेः–

उत्तराखण्ड में कृषि विभाग का कृषि निदेशालय में नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरून में अवस्थित हैं तथा अन्य विभिन्न विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचना प्रारूप 2–11 पर निम्नवत् प्रस्तुत है।

उत्तराखण्ड में कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालय तथा विभिन्न स्तरो पर कार्यालय का नाम व पता

मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
1	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	सब्जी मंडी, निरंजनपुर, देहरादून
2	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार
3	मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर	नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
4	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	विकास भवन, पौड़ी गढवाल
5	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	विकास भवन,
6	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	विकास भवन गोपेश्वर
7	मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग	केदारनाथ रोड़ बैन्ड, रूद्रप्रयाग
8	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	विकास भवन, ऊधमसिंह नगर
9	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	विकास भवन, भीमताल
10	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	विकास भवन, स्यालीधार, अल्मोड़ा
11	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	एस्ट्राल स्कूल के ऊपर, बागेश्वर
12	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	विकास भवन, पिथौरागढ़
13	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	विकास भवन चम्पावत

कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय, उत्तरांचल

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
1	कृषि रक्षा अधिकारी, देहरादून	सब्जी मंडी, निरंजनपुर, देहरादून
2	कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार
3	कृषि रक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर	नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
4	कृषि रक्षा अधिकारी, पौड़ी	विकास भवन, पौड़ी गढवाल
5	कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी	विकास भवन,
6	कृषि रक्षा अधिकारी, चमोली	विकास भवन गोपेश्वर
7	कृषि रक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग	केदारनाथ रोड़ बैन्ड, रूद्रप्रयाग
8	कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	विकास भवन, ऊधमसिंह नगर
9	कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल	विकास भवन, भीमताल
10	कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	विकास भवन, स्यालीधार, अल्मोड़ा
11	कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर	एस्ट्राल स्कूल के ऊपर, बागेश्वर
12	कृषि रक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	विकास भवन, पिथौरागढ़
13	कृषि रक्षा अधिकारी, चम्पावत	विकास भवन चम्पावत

कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम व पता
01	02
01.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी
02.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली, पौडी
03.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार, पौडी
04.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट, पौडी
05.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावौं, पौडी
06.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली
07.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली
08.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली, चमोली
09.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनी, रूद्रप्रयाग
10.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर, टि0ग0
11.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी, टि0ग0
12.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टि0ग0
13.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा, टि0ग0
14.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी
15.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट, उत्तरकाशी
16.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी, उत्तरकाशी
17.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित भण्डारीबाग, देहरादून
18.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी, देहरादून
19.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर, देहरादून
20.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूडकी, हरिद्वार
21.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार स्थित बहादराबाद, हरिद्वार
22.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर
23.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर
24.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल
25.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल, नैनीताल
26.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी, नैनीताल
27.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोडा
28.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैंण, अल्मोडा
29.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत, अल्मोडा
30.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना, अल्मोडा
31.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर
32.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़
33.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ
34.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ
35.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट, चम्पावत

मण्डल कार्यालय, प्रयोगशाला एवं कृषि/भूमि संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र, उत्तराखण्ड

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
1	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ मण्डल, हल्द्वानी	बरेली रोड़ हल्द्वानी (नैनीताल)
2	संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	कृषि भवन, श्रीनगर पौड़ी
3	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	कृषि भवन, श्रीनगर रोड़, पौड़ी
4	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	निकट बस अड्डा रूद्रपुर
5	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर	इन्टर कालेज रोड़ श्रीनगर
6	केन्द्राध्यक्ष, राजकीय भूमि संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र, मजखाली (अल्मोड़ा)	रानीखेत रोड़ मजखाली
7	केन्द्राध्यक्ष, राजकीय भूमि संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र, पौड़ी	कृषि फार्म प्लाट, पौड़ी
8	सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी	बरेली रोड़ हल्द्वानी (नैनीताल)

1.09 कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समयः–

कृषि निदेशालय के विभिन्न अनुभागीय कार्यालय कक्षों को समय से खुलाने तथा बन्द किये जाने की समुचित व्यवस्था के निमित्त कार्यालय मे लिपिक संवर्गीय कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया गया हैं, जिनके नियमित कर्तव्यों का यह एक अंग होगा कि वे अपने समक्ष कार्यालय कक्षों एवं मुख्य गेट को खुलवाने एवं बन्द कराने का कार्य करायेगें। प्रत्येक कमरे में रखी गई सामग्री का एक चार्ट कार्यालय कक्ष में होगा जिसके प्रति संबन्धित सहायक उत्तरदाई होगा कार्यालय कक्ष में पटल सहायक अपने अलमारियों की चाबी स्वयं अपने पास रखेगें एवं अवकाश पर जाने पर पटल की कार्य व्यवस्था निमित्त प्रशासनिक अधिकारी को चाबी सौंपने की व्यवस्था करेगें।

प्रत्येक कार्यदिवस पर कार्यलय 10.00 बजे खुलेगा एवं सांयकाल 5.00 बजे बन्द होगा। अवकाश के दिनों में अनुभागीय अधिकारियों के आदेश पर शासकीय कार्य हित में कार्यालय खोला जा सकता हैं। कार्यालय की रात्रि चौकीदारी हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था सुनिश्चित हैं। वरिष्ठ प्रशानिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी यथा आवश्यकतानुसार कर्मियों की उक्त ड्यूटी में समय–समय पर परिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारियों से आदेश प्राप्त करेगें ताकि ड्यूटी समय–समय पर परिवर्तित होती रहे।

1.10 उत्तराखण्ड कृषि विभाग के सृजित पदों का विवरण

क्र0 सं0	प्दनाम	वेतनमान / वेतनबैण्ड / ग्रेड वेतन	स्वी0 पद
1	2	3	4
1	कृषि निदेशक	37400–67000–10000	01
2	अपर कृषि निदेशक	37400–67000–8700	02
3	लेखा एवं वित्त नियंत्रक	15600–39100–8700	01
4	संयुक्त कृषि निदेशक	15600–39100–7600	05
5	उप कृषि निदेशक / मुख्य कृषि अधिकारी	15600–39100–6600	18
6	लेखाधिकारी	15600–39100–5400	02
7	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	15600–39100–5400	68
8	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800–4800	03
9	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4600	04
10	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4800	06
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600	49
12	अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–1	9300–34800–4600	32
13	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	9300–34800–4600	236
14	कनिष्ठ अभियन्ता	9300–34800–4600	54
15	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800–4200	09
16	लेखाकार	9300–34800–4200	20
17.	वरिष्ठ मानचित्रक	9300–34800–4200	04
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–2	9300–34800–4200	41
19	प्रधान सहायक	9300–34800–4200	49
20	वैयक्तिक सहायक	9300–34800–2800	14
21	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	5200–20200–2800	404
22	राजस्व निरीक्षक	5200–20200–2800	13
23	संगणक / डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200–2800	04
24	सहायक लेखाकार	5200–20200–2800	69
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200–2800	82
26	मानचित्रक	5200–20200–2800	26
27	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	5200–20200–2000	483
28	वरिष्ठ कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–2000	01
29	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200–2000	88
30	कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–1900	22
31	अनुरेखक	5200–20200–1900	37
32	वाहन चालक	5200–20200–1900	64
33	चतुर्थ श्रेणी	5200–20200–1800	580
योग			**2491**

रजिस्टर्ड सं0 यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग – 4, खण्ड (ख)

(परिनियम नियम आदेश)

देहरादून, शनिवार, 02 अगस्त, 2003 ई0

(श्रावण 11, 1925 शंक सम्वत्)

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग

संख्या 956/कृषि–1(41)/2002

देहरादून, 02 अगस्त, 2003

अधिसूचना

प0आ0–117

1. उत्तरांचल राज्य के विशेष भौगौलिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत की गई कृषि विभाग की पुर्नगठन सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–680/व0ग्रा0वि0–VII/कृषि/2001 दिनांक 04/10/2001 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या–782/कृषि/2001/दिनांक 27/10/2001 को अवक्रमित करते हुये प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों को विकास की गति प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि विभाग में उपलब्ध विभिन्न शाखाओं में अन्तर्निहित पदों को पुर्नगठित करते हुये विभाग में 2609 पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2. अपर विभागाध्यक्ष/अपर कृषि निदेशक स्तर के 02 पद सृजित किये गये हैं जिसमें से 01 अपर कृषि निदेशक को कृषि निदेशक के साथ मुख्यालय में तथा दूसरे अपर कृषि निदेशक को पौड़ी स्थित अपर निदेशक के कार्यालय में गढ़वाल मण्डल के कार्यों को निस्तारित करने के लिए तैनात किया जायेगा।
3. संयुक्त कृषि निदेशक के 05 पर सृजित किये गये हैं जिसमें से01 संयुक्त कृषि निदेशक को कुमांयू मण्डल के मण्डलीय कार्यालय के मुख्यालय हल्द्वानी में तथा 04 संयुक्त कृषि निदेशक जिनमें से 01 सांख्यिकी विभाग का है। विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तैनात किये जायेंगें।।
4. श्रेणी–1 उप निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी स्तर के 18 पद सृजित किये गये है जो क्रमशः 13 जिलों के जिला मुख्यालयों में एवं 04 कृषि विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में तथा 01 मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में तैनात किये जायेंगे। जनपद स्तर पर मुख्यकृषि अधिकारी के साथ (जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर व चम्पावत को छोड़कर) एक–एक सहायक निदेशक कृषि प्रसार की तैनाती की जायेगी।
5. विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से लेखा एवं वित्त नियंत्रक का एक पद सृजित किया गया है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से भरा जायेगा।

इसके अतिरिक्त सहायक लेखाधिकारी के 02 पद सृजित किये गये हैं, जिन पर भी वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को तैनात किया जायेगा।

6. सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धक की 25 इकाइयां सृजित की गई हैं, जिनमें से 23 इकाइयां पूर्व से सृजित हैं तथा 02 नई जलागम इकाइयां जनपद उद्यमसिंहनगर के जिला मुख्यालय में तथा दूसरी जनपद चम्पावत के लोहाघाट नामक स्थान में स्थापित की जायेगी। जलागम प्रबन्धन इकाइयां ''प्रोजक्ट मोड'' में होंगी अर्थात जहाँ भारत सरकार या अन्य स्त्रोतों से वित्तीय/परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होगी उन्ही जल समेट क्षेत्रों में इन इकाइयों का मुख्यालय शिफ्ट होता रहेगा जनपद स्तर पर ये इकाइयां मुख्य कृषि अधिकारी के नियंत्रण में रहेंगी।
7. पौध संरक्षण शाखा में कृषि रक्षा अधिकारी के 14 पद सृजि किये गये हैं जिनमें से 13 अधिकारी जिला मुख्यालयों में एवं 01 अधिकारी को विभागाध्यक्ष के मुख्यालय में तैनात किया जायेगा। जनपदों में तैनात कृषि रक्षा अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करेगे।
8. कुमांयू मण्डल के मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा गढ़वाल मण्डल के अपर कृषि निदेशक के साथ 1–1 सहायक निदेशक सामान्य तथा 1–1 सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी की तैनाती की जायेगी।
9. मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में उप निदेशक, कृषि सांख्यिकी के साथ एक सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी की तैनाती की जायेगी।
10. दो राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों पर श्रेणी–2 के 02 पद तथा क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अधिष्ठान हेतु 03 पद सृजित किये गये हैं ये पद पूर्ववत पौड़ी, मजखाली, श्रीनगर, अल्मोड़ा व रूद्रपुर में यथावत रहेंगे। सम्भागीय कृषि परिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र में श्रेणी–2 का 01 पद रखा गया है जिसका मुख्यालय हल्द्वानी में होगा।
11. विभागाध्यक्ष के मुख्यालय में श्रेणी–2 के 09 अधिकारी तैनात किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय कार्यालयों तथा उप निदेशक (कृषि), कृषि रक्षा भूमि संरक्षण, पौड़ी व देहरादून, सहायक निदेशक, कृषि विपणन व अपर निदेशक पौड़ी तथा कुमाँयू मण्डल के मण्डलीय कार्यालयों यथा उप निदेशक (कृषि) कृषि रक्षा, कृषि सांख्यिकी, कृषि शोध केन्द्र, सहाकय निदेशक, कृषि विपणन व उप निदेशक, भू0सं0 अल्मोड़ा के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी क्रमशः मण्डलीय संयुक्त निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी देहरादून, नैनीताल व अपर निदेशक के पूर्व कार्यालय पौड़ी एवं विभागाध्यक्ष के मुख्यालय तथा नवसृजित जनपद बागेश्वर चम्पावत रूद्रप्रयाग में समायोजन किया जायेगा–
    (1) भूमि सरक्षण की दो नई इकाइयां सृजित किये जाने के फलस्वरूप पुर्व इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या अब रखी गई कार्मिकों की संख्या के आधार पर इकाईयों में तैनात वर्ग 1, 2 व 3 के अप्रशिक्षित कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में समायोजित किया जाय।
    (2) वर्तमान कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यरत स्टाफ में से कुछ वरिष्ठ तथा कुछ कनिष्ठ कार्मिको को नवसृजित जनपदों में बराबर के अनुपात में स्थानान्तरित किया जाय।
    (3) कार्मिकों का समायोजन यथा सम्भव उपलब्ध निकटस्थ स्थानों पर ही किया जाय।
    (4) ऐच्छिक स्थानान्तरण को तभी वरीयता दी जाय जब उपरोक्त अपनाई जाने वाली व्यवस्था बाधित न हों।
12. विभाग के पुर्नगठन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् उप कृषि निदेशक, उपनिदेशक कृषि रक्षा, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उप निदेशक (भू0सं0) अल्मोडा, पौड़ी, देहरादून, उप निदेशक सांख्यकी, हल्द्वानी, उप कृषि निदेशक, प्रसार हरिद्वार, उप निदेशक–कम–प्रभारी अधिकारी, शोध केन्द्र, हल्द्वानी तथा सहायक कृषि विपणन अधिकारी, पौड़ी/हल्द्वानी के कार्यालय तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाते हैं। उक्त कार्यालयों के समाप्त होते ही मण्डल स्तर पर अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय अस्तित्व में आ जायेगें और परियोजना अधिकारी , कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय के रूप में परिणित हो जायेगें।
13. विभाग को पुर्नठित किये जाने के पश्चात जो मण्डलीय/जनपद कार्यालय समाप्त किये गये हैं में उपलब्ध मशीन, साज–सज्जा, लेनदारी एवं देनदारी का समायोजन निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा।
14. उत्तरांचल कृषि विभाग के संशोधित पुर्नगठन सम्बन्धी अधिसूचना में कृषि निदेशक से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों का विवरण संलग्न–1 कृषि निदेशालय के लिए रखे गये पदों का विवरण, संलग्नक–2, पौड़ी स्थित अपर कृषि निदेशक तथा हल्द्वानी स्थित संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालयों के पदों का विवरण संलग्नक–3, जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी व कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालयों के पदों का विवरण संलग्नक–4 व 6, जलागम प्रबन्धन की इकाइयों के पदों का विवरण संलग्नक–5, कृषि सांख्यिकी (फसल सर्वेक्षण योजना, सुधार योजना, फसलों के क्षेत्रफल व अनुमान) के पदों का विवरण संलग्नक 7(1), 7(2), 7(3), मुख्य राजस्व कार्यालयों के पदों का विवरण

संलग्न–8, मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना में कृषि विपणन, मण्डी स्तर के पदों का विवरण संलग्नक–10(1), क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के पदों का विवरण संलग्नक–10(2) भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों के पदों का विवरण संलग्न–11, सम्भाीय कृषि परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी व चिन्यालीसौड़ के पदेां का विवरण संलग्न–13 पर अंकित करते हुये पदों की संख्या एवं वेतनमान सहित प्रेषित किया जा रहा है।

15. उक्तानुसार कृषि विभाग के निदेशालय, मण्डलीय कार्यालयल व जनपदीय कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती/समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
16. कृषि विभाग के कृषि निदेशक/विभागाध्यक्ष के मुख्यालय के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगें।

संलग्नक–1

उत्तरांचल कृषि विभाग के संशोधित पुर्नगठन में सृजित किये गये पदो का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं0
1	कृषि निदेशक	**18600 – 22600**	01
2	अपर कृषि निदेशक	**14300 – 18300**	02
3	संयुक्त कृषि निदेशक	**12000 – 16500**	05
4	उप कृषि निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी	**10000 – 15200**	18
5	लेखा एवं वित्त नियंत्रक	**10000 – 15200**	01
6	सहायक निदेशक, श्रेणी–2	**8000 – 13500**	68
7	लेखाधिकारी	**8000 – 13500**	02
8	सहायक लेखाधिकारी	**6500 – 10500**	03
9	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	**6500 – 10500**	01
10	वरिष्ठ प्रसाशनिक अधिकारी	**6500 – 10500**	01
11	आशुलिपिक ग्रेड–1	**5500 – 9000**	02
12	प्रशासनिक अधिकारी	**5500 – 9000**	03
13	आशुलिपिक ग्रेड–2	**5000 – 8000**	05
14	वरिष्ठ मानचित्रक	**5000 – 8000**	04
15	अ0 कृ0 से0 वर्ग–1	**5000 – 8000**	144
16	लेखाकार	**5000 – 8000**	20
17	अवर अभियन्ता	**5000 – 8000**	54
18	अ0 कृ0 से0 वर्ग–2	**4500 – 7000**	440
19	कैम्प सहायक	**4500 – 7000**	01
20	संगणक/डाटा इंट्री ऑपेरेटर	**4500 – 7000**	04
21	प्रधान लिपिक	**4500 – 7000**	16
22	आशुलिपिक	**4000 – 6000**	01
23	मानचित्रक	**4000 – 6000**	26
24	सहायक लेखाकार	**4000 – 6000**	69
25	वरिष्ट सहायक	**4000 – 6000**	73
26	अ0 कृ0 से0 वर्ग–3	**3200 – 4900**	742
27	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपेरेटर	**3050 – 4590**	180
28	वरिष्ठ यान्त्रिक सहायक	**3200 – 4900**	01
29	कृषि रक्षा यंत्रिक	**3050 – 4590**	22
30	अनुरेखक	**3050 – 4590**	37
31	वाहन चालक	**3050 – 4590**	64
32	कामदार/लैब सहायक/परिचालक/वर्गीकरण सहायक	**2610 – 3540**	20
33	चतुर्थ श्रेणी/अर्दली/चपरासी/चौकीदार/सफाई नायक	**2550 – 3200**	560
	योग		**2609**

संलग्नक–2

कृषि निदेशलय, उत्तराखण्ड की स्थपना हेतु सृजित पदो का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं0
1	कृषि निदेशक	**18,600-22,600**	01
2	अपर कृषि निदेशक	**14,300-18,400**	01
3	संयुक्त कृषि निदेशक (जैविक)	**12,000-16,500**	01
4	संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन/अनुश्रवण)	**12,000-16,500**	01
5	संयुक्त कृषि निदेशक गुणवत्ता नियंत्रण	**12,000-16,500**	01
6	संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी एवं फसल बीमा)	**12,000-16,500**	01
7	वित्त एवं लेखानियंत्रक	**10,000-15,200**	01
8	उप कृषि निदेशक तकनीकि संप्रेक्षण	**10,000-15,200**	01
9	उप कृषि निदेशक मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	**10,000-15,200**	01
10	उप कृषि निदेशक कृषि विपणन	**10,000-15,200**	01
11	उप कृषि निदेशक सांख्यिकी	**10,000-15,200**	01
12	सहायक निदेशक निवेश	**8.000-13.500**	01
13	सहायक निदेशक अभियंत्रण	**8.000-13.500**	01
14	सहायक निदेशक कृषि रक्षा/निगरानी	**8.000-13.500**	01
15	सहायक निदेशक अनुश्रवण	**8.000-13.500**	01
16	सहायक निदेशक मृदा परीक्षण	**8.000-13.500**	01
17	सहायक निदेशक सम्प्रक्षण	**8.000-13.500**	01
18	सहायक निदेशक नियोजन	**8.000-13.500**	01
19	सहायक निदेशक कृषि विपणन	**8.000-13.500**	01
20	सहायक निदेशक कृषि सांख्यिकी	**8.000-13.500**	01
21	लेखाधिकारी वित्त	**8.000-13.500**	01
22	लेखाधिकारी सम्प्रेक्षण	**8.000-13.500**	01
23	सहायक लेखाधिकारी	**6,500-10,500**	01
24	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	**6,500-10,500**	01
25	आशुलिपिक ग्रेड–1	**5,500-9,000**	01
26	आशुलिपिक ग्रेड–2	**5,500-8,000**	04
27	आशुलिपिक	**4,000-,6000**	06
28	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	**6,500-10,000**	01
29	प्रशासनिक अधिकारी	**5,500-9,000**	01
30	प्राविधिक सहायक वर्ग–1	**5,500-9,000**	03
31	जलागम प्रबन्धक वर्ग–1	**5,000-8,000**	01
32	वरिष्ठ यांत्रिक सहायक वर्ग–1	**5,000-8,000**	01
33	वरिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी	**5,000-8,000**	01
34	नियोजन सहायक	**5,000-8,000**	01
35	अपर सांख्यिकीय अधिकारी वर्ग–1(नियोजन)	**5,000-8,000**	01
36	अपर सांख्यिकीय अधिकारी वर्ग–1	**5,000-8,000**	07
37	वरिष्ठ मानचित्रक	**5,000-8,000**	02
38	लेखाकार	**5,000-8,000**	05
39	सहायक लेखाकार	**4,000-6,000**	11
40	मानचित्रक	**4,000-6,000**	01
41	उप जलागम प्रबन्धक वर्ग–2	**4,500-7,000**	02
42	कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक (निगरानी)	**4,500-7,000**	01
43	अवर अभियन्ता	**5,000-8,000**	02
44	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक (अन्वेषक–क्रम–संगणक)	**4,500-7,000**	06
45	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	**4,500-7,000**	03
46	प्रधान लिपिक	**4,500-7,000**	01
47	कैम्प सहायक	**4,500-7,000**	01
48	वरिष्ठ सहायक	**4,000-6,000**	12
49	वरिष्ठ यांत्रिक कृषि रक्षा	**3,200-4,900**	01
50	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	**3,050-4,590**	52
51	अनुरेखक	**3,050-4,590**	04
52	वाहन चालक	**3,050-4,590**	09
53	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी /अर्दली/चौकीदार नायक	**2,550-3,200**	39
योग			**204**

नोट– क्रम संख्या 38 पर एक पद कृषि सांख्यिकी की फसलों के क्षेत्रफल और उनके अनुमान लगाने की योजना का सम्मिलित है।

संलग्नक–3

गढ़वाल मण्डल में अपर कृषि निदेशक/कुमायूं मण्डल में संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	हल्द्वानी	योग
1	अपर कृषि निदेशक	14300-18300	01	-	01
2	संयुक्त कृषि निदेशक मण्डलीय	12000-16500	-	01	01
3	सहायक निदेशक कृषि सांख्यिकी	8000-13500	01	01	02
4	सहायक निदेशक सामान्य	8000-13500	01	01	02
5	सहायक लेखाकाधिकारी	6500-10000	01	01	02
6	आशुलिपिक ग्रेड–1	5500-9000	01	01	01
7	प्रशासनिक अधिकारी	5500-9000	01	01	02
8	आशुलिपिक ग्रेड–2	5000-8000	-	01	01
9	प्राविधिक सहायक वर्ग–1	5000-8000	01	01	02
10	जलागम प्रबन्धक वर्ग–1	5000-8000	01	01	02
11	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1	5000-8000	01	01	02
12	वरिष्ठ मानचित्रक	5000-8000	01	01	02
13	लेखाकार	5000-8000	01	01	02
14	अवर अभियन्ता	5000-8000	01	-	02
15	कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक	4500-7000	01	01	02
16	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक अन्वेषक–कम–संगणक	4500-7000	-	01	15
17	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	02
18	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	04
19	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	02	02	04
20	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	06	05	11
21	अनुरेखक	3050-4590	04	04	08
22	वाहन चालक	3050-4590	01	01	02
23	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050-4590	01	01	02
24	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/अर्दली/चौकीदार /सफाई नायक	2550-3200	10	10	20
योग			40	54	94

संलग्नक–4

जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के अधिस्ठान हेतु कृषि सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वर	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तरकाशी
1	मुख्य कृषि अधिकारी	10000-15200	01	01	01	01	01	01	01
2	सहायक निदेशक कृषि प्रसार	8000-13500	01	01	01	01	–	01	01
3	अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक)	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
4	अपर कृषि प्रसार अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
5	लेखाकार	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01
6	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
7	सहायक कृषि विकास अधिकारी	4500-7000	06	06	09	15	04	08	06
8	बफर प्रभारी	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
9	बीज विधाय संयत्र प्रभारी	4500-7000	–	01	–	–	–	–	–
10	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	4500-7000	01	–	–	–	–	–	–
11	तिलहन निरीक्षक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	01
12	आशुलिपिक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	01
13	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	03	03	02	02	02	02	02
14	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	02	02	02	02	02
15	सहायक कृषि निरीक्षक	3200-4900	06	06	09	15	04	08	06
16	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	3200-4900	–	01	01	–	01	01	02
17	कृषि प्रसार सहायक	3200-4900	06	05	09	15	04	08	06
18	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	04	04	04	05	02	02	02
19	वाहन चालक	3050-4590	02	02	02	02	01	02	02
20	टैक्टर चालक	3050-4590	01	–	–	–	–	–	–
21	बीज विधायन परिचालक	2610-3540	–	01	–	–	–	–	–
22	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ अर्दली/चौकीदार/सफाई नायक	2550-3200	26	26	24	36	16	24	21
योग			**66**	**67**	**71**	**101**	**44**	**66**	**58**

जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य के सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	उ0 नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	योग
1	मुख्य कृषि अधिकारी	10000-15200	01	01	01	01	01	01	13
2	सहायक निदेशक कृषि प्रसार	8000-13500	01	01	01	&	01	&	10
3	अपर जिला कृषि अधिकारी (जैविक)	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
4	अपर कृषि प्रसार अधिकारी	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
5	लेखाकार	5000-8000	01	01	01	01	01	01	13
6	प्रधान लिपिक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
7	सहायक कृषि विकास अधिकारी	4500-7000	07	08	09	05	08	04	95
8	बफर प्रभारी	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
9	बीज विधाय संयत्र प्रभारी	4500-7000	-	01	-	-	-	-	02
10	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	4500-7000	01	-	-	-	-	-	02
11	तिलहन निरीक्षक	4500-7000	01	01	01	01	01	01	13
12	आशुलिपिक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	13
13	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	02	02	02	02	02	03	29
14	सहायक लेखाकार	4000-6000	02	02	02	02	02	02	26
15	सहायक कृषि निरीक्षक	3200-4900	07	08	09	05	08	04	95
16	प्रक्षेत्र प्रबन्धक	3200-4900	-	01	01	-	01	-	09
17	कृषि प्रसार सहायक	3200-4900	07	08	09	05	08	04	95
18	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-4590	02	03	04	02	03	04	41
19	वाहन चालक	3050-4590	01	02	02	01	01	02	22
20	टैक्टर चालक	3050-4590	01	-	-	-	-	-	02
21	बीज विधायन परिचालक	2610-3540	-	01	-	-	-	-	02
22	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ अर्दली/चौकीदार/ सफाई नायक	2550-3200	22	25	27	17	25	19	308
योग			**61**	**70**	**74**	**47**	**67**	**50**	**482**

संलग्नक–5

जलागम प्रबन्ध इकाईयों की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	टिहरी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तर काशी	उद्यमसिंह नगर
1	सहायक निदेशक जलागम	10000-15200	01	01	01	01	01	01
2	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01
3	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02
4	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04
5	माचित्रक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
6	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16	16	16
7	अनुरेखक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
8	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
9	कनिष्ठ सहायक	3050-4590	02	02	02	02	02	02
10	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01
11	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
12	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04
योग			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	सतपुली	कोटद्वार
1	सहायक निदेशक जलागम	10000-15200	01	01	01	01	01	01
2	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01
3	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02
4	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04
5	माचित्रक	4500-7000	01	01	01	01	01	01
6	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16	16	16
7	अनुरेखक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
8	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
9	कनिष्ठ सहायक	3050-4590	02	02	02	02	02	02
10	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01
11	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
12	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04
योग			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	दुगड्डा	नरेन्द्र नगर	कीर्ति नगर	कर्ण प्रयाग	बड़कोट	हल्द्वानी
1	सहायक निदेशक जलागम	8000-13500	01	01	01	01	01	01
2	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01
3	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02
4	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04
5	माचित्रक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
6	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16	16	16
7	अनुरेखक	3250-4590	01	01	01	01	01	01
8	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01
9	कनिष्ठ सहायक	3250-4590	02	02	02	02	02	02
10	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01
11	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01
12	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04
योग			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	रानीखेत	ताड़ीखेत	चौड़ीहाट	विकासनगर	कालसी	रुड़की	लोहाघाट	योग
1	सहायक निदेशक जलागम	8000-13500	01	01	01	01	01	01	01	25
2	जलागम प्रबन्धक	5000-8000	01	01	01	01	01	01	01	25
3	अवर अभियन्ता	5000-8000	02	02	02	02	02	02	02	50
4	उप जलागम प्रबन्धक	4500-7000	04	04	04	04	04	04	04	100
5	माचित्रक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	01	25
6	जलागम सहायक	3200-4900	16	16	16	16				400
7	अनुरेखक	3250-4590	01	01	01	01	01	01	01	25
8	वरिष्ठ सहायक	4000-6000	01	01	01	01	01	01	01	25
9	कनिष्ठ सहायक	3250-4590	02	02	02	02	02	02	02	50
10	सहायक लेखाकार	4000-6000	01	01	01	01	01	01	01	25
11	वाहन चालक	3050-4590	01	01	01	01	01	01	01	25
12	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	04	04	04	04	04	04	04	100
योग			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**875**

संलग्नक–6

जनपद स्तर पर वनस्पति संरक्षण (कृषि रक्षा) के सृजित पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तर काशी
1	कृषि रक्षा अधिकारी	8000–13500	01	01	01	01	01	01	01
2	जीवनाशी प्रबन्धन प्रभारी वर्ग–1	5000–8000	01	01	01	01	01	01	01
3	वरिष्ट जीवनाशी प्रबन्धन सहायक	4500–7000	07	07	10	16	05	09	07
4	आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग–3	3200–4900	06	06	09	15	04	08	06
5	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050–4590	02	02	02	02	02	01	01
योग			**17**	**17**	**23**	**35**	**12**	**20**	**16**

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	उद्यम सिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	योग
1	कृषि रक्षा अधिकारी	8000–13500	01	01	01	01	01	01	13
2	जीवनाशी प्रबन्धन प्रभारी वर्ग–1	5000–8000	01	01	01	01	01	01	13
3	वरिष्ट जीवनाशी प्रबन्धन सहायक	4500–7000	08	09	10	06	09	05	108
4	आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग–3	3200–4900	07	08	09	05	08	04	95
5	कृषि रक्षा यांत्रिक	3050–4590	02	02	02	01	01	01	20
योग			**19**	**21**	**23**	**14**	**20**	**12**	**249**

संलग्नक–7(1)

कृषि सांख्यिकी (फसल सर्वेक्षण योजना) में जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तर काशी
1	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000–8000	01	01	01	01	01	01	01
2	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेशक कम संगणक	4500–7000	–	–	03	04	–	02	02
3	राजस्व निरीक्षक	4500–7000	03	01	–	–	–	–	–
4	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	03	01	–	–	–	–	–
योग			**07**	**03**	**04**	**05**	**01**	**03**	**03**

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टेहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तर काशी
1	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000–8000	01	01	01	01	01	01	01
2	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक/अन्वेशक कम संगणक	4500–7000	–	01	02	01	03	–	18
3	राजस्व निरीक्षक	4500–7000	06	03	–	–	–	–	13
4	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	06	03	–	–	–	–	13
योग			**13**	**08**	**03**	**02**	**04**	**01**	**57**

संलग्नक–7(2)

कृषि सांख्यिकी सुधार योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	उद्यमसिंह नगर	योग
1	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000–8000	01	01	02

संलग्नक–7(3)

कृषि सांख्यिकी फसलों के क्षेत्रफल और उनके अनुमान लगाने की योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	देहरादून	नैनीताल	योग
1	अपर सांख्यिकी अधिकारी	5000–8000	01	01	02

संलग्नक–8

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून के अधिष्ठान में कृषि सांख्यिकी सांख्यिकी योजना के अन्तर्गत सुजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	योग
1	उप निदेशक कृषि सांख्यिकी	1000–15200	01
2	सहायक निदेशक, कृषि साख्यिकी	8000–13500	01
3	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1	5000–8000	04
4	कनिष्ठ सांख्यिकी निरीक्षक वर्ग–2	4500–7000	02
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (सांख्यिकी)	4500–7000	01
6	आशुलिपिक	4000–6000	01
7	कनिष्ट लिपिक	3050–4590	02
8	वाहन चालक	3050–4590	01
9	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	04
	योग		**17**

संलग्नक–9(1)

मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के जिलेवार सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तरकाशी
1	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक	5000–8000	01	01	–	–	–	–	–
2	ज्येष्ठ रसायनज्ञ	5000–8000	–	01	–	–	–	–	–
3	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	–	01	01	01	–	01	01
4	वर्गीकरण निरीक्षक	4500–7000	–	–	–	–	–	–	–
5	सहायक वर्गीकरण निरीक्षक	3200–4900	–	01	–	–	–	–	–
6	कृषि विपणन सहायक	2610–3540	01	01	–	–	–	–	–
7	वर्गीकरण सहायक	2610–3540	–	01	–	–	–	–	–
8	लैब सहायक	2610–3540	–	01	–	–	–	–	–
9	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	01	01	–	–	–	–	–
योग			**03**	**08**	**01**	**01**	**–**	**01**	**01**

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	उधम सिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	योग
1	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक	5000–8000	01	01	–	–	–	–	04
2	ज्येष्ठ रसायनज्ञ	5000–8000	–	01	–	–	–	–	02
3	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	–	01	01	–	01	–	08
4	वर्गीकरण निरीक्षक	4500–7000	01	–	–	–	–	–	01
5	सहायक वर्गीकरण निरीक्षक	3200–4900	–	01	–	–	–	–	02
6	कृषि विपणन सहायक	2610–3540	01	01	–	–	–	–	04
7	वर्गीकरण सहायक	2610–3540	01	01	–	–	–	–	03
8	लैब सहायक	2610–3540	–	01	–	–	–	–	02
9	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	–	–	–	–	–	–	02
योग			**04**	**07**	**01**	–	**01**	–	**28**

संलग्नक–9(2)

मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान हेतु कृषि सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के मण्डी स्तर के सुजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	विकास नगर	ऋषिकेश	काटद्वार	रामनगर	किच्छा	सितारगंज	काशीपुर
1	वर्गीकरण निरीक्षक	4500–7000	–	–	–	01	01	–	01
2	सहायक वर्गीकरण	3200–4900	01	01	01	–	–	01	–
3	वर्गीकरण सहायक	2610–3540	01	–	01	01	01	01	01
योग			**02**	**01**	**02**	**02**	**02**	**02**	**02**

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	गदरपुर	खटीमा	बाजपुर	मंगलौर	रूड़की	योग
1	वर्गीकरण निरीक्षक	4500–7000	–	–	–	01	01	05
2	सहायक वर्गीकरण	3200–4900	01	01	01	–	–	07
3	वर्गीकरण सहायक	2610–3540	01	01	01	–	–	09
योग			**02**	**02**	**02**	**01**	**01**	**21**

संलग्नक–10(1)

जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	हरिद्वार	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	उत्तरकाशी
1	प्रयोगशाला प्रभारी	5000–8000	01	01	01	01	01	01	01
2	मृदा विश्लेषक	4500–7000	02	02	02	02	02	02	02
3	सहायक मृदा विश्लेषक	3200–4000	02	02	02	02	02	02	02
4	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	03	03	03	03	03	03	03
योग			**08**	**08**	**08**	**08**	**08**	**08**	**08**

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	उद्यम सिंह नगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	योग
1	प्रयोगशाला प्रभारी	5000–8000	01	01	01	01	01	01	13
2	मृदा विश्लेषक	4500–7000	02	02	02	02	02	02	26
3	सहायक मृदा विश्लेषक	3200–4900	02	02	02	02	02	02	26
4	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	03	03	03	03	03	03	39
योग			**08**	**08**	**08**	**08**	**08**	**08**	**104**

संलग्नक–10(2)

क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अधिष्ठान हेतु सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	श्रीनगर	अल्मोडा	रूद्रपुर	योग
1	सहायक निदेशक	8000–13500	01	01	01	03
2	विश्लेषक	5000–8000	01	01	01	03
3	सहायक विश्लेषक	4000–7000	02	02	02	06
4	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	02	02	02	06
5	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	04	04	04	12
योग			**10**	**10**	**10**	**30**

संलग्नक–11

दो राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पौड़ी	मजखाली	योग
1	केन्द्र प्रभारी	8000–13500	01	01	02
2	प्रषिक्षक	5000–8000	05	05	10
3	सहायक लेखाकार	4000–6000	01	01	02
4	वरिष्ठ लेखाकार	4000–6000	01	01	02
5	प्रयोगशाला सहायक	3200–3900	04	04	08
6	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	03	03	06
7	चालक	3050–4590	01	01	02
8	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ अर्दली/चौकीदार	2550–3200	04	06	10
	योग		**20**	**22**	**42**

संलग्नक–12(1)

हल्द्वानी में सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र के लिए सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	योग
1	सहायक निदेशक (प्रदर्शन)	8000–13500	01
2	वरिष्ठ शोध सहायक सांख्यकी/वनस्पति/षश्य	5000–8000	04
3	कनिष्ठ शोध सहायक वर्ग–2	4500–7000	06
4	प्रक्षेत्र प्रबन्धक वर्ग–2	4500–7000	01
5	सहायक लेखाकार	4000–6000	01
6	वरिष्ठ सहायक	4000–6000	01
7	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	02
8	ट्रैक्टर चालक	3050–4590	01
9	प्रयोगशाला परिचर	2550–3200	06
10	चौकीदार	2550–3200	01
	योग		**24**

संलग्नक–12(2)

कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र के लिए चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी) के लिए सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	योग
1	वरिष्ठ शोध सहायक वर्ग–1	5000–8000	01
2	शोध सहायक वर्ग–2	4500–7000	02
3	कनिष्ठ शोध सहायक वर्ग–3	3200–4900	03
4	कनिष्ठ सहायक	3250–4590	01
5	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ अर्दली/चौकीदार/हलवाई	4550–3200	04
	योग		**11**

संलग्नक–13

कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र के लिए चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी) के लिए सृजित पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	योग
1	प्रभारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला वर्ग–1	5000–8000	01
2	बीज परीक्षण वर्ग–2	4500–7000	01
3	सहायक बीज परीक्षक वर्ग–3	3200–4900	02
4	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	01
5	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	02
	योग		**07**

आज्ञा से
ह0–
बी0पी0पाण्डेय,
सचिव।

रजिस्टर्ड सं0 यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग – 4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0

(फाल्गुन 09, 1925 शंक सम्वत्)

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या–1254/कृषि/2004–1(41)2002
देहरादून : दिनाँक 28 फरवरी, 2004
संशोधित अधिसूचना

प0आ0–61

कृषि विभाग के उपलब्ध संगठनों में अर्न्तनिहित पदों को पुर्नगठित करने विषयक अधिसूचना संख्या 956/कृषि/1(41)/2003, दिनांक 02.08.2003 द्वारा निर्गत आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय (संलग्न विवरणानुसार) अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अधिसूचना दिनाँक 2–8–2003 इस सीमा तक संशोधित समझी जाये।

1. अधिसूचना संख्या–956 दिनाँक 2–8–2003 के प्रस्तर–1 में जो अवक्रमित शब्द टंकित है, को संशोधित पढ़ा जाय।
2. अधिसूचना के प्रस्तर–5 में सहायक लेखाधिकारी के 02 पदों के स्थान पर लेखाधिकारी के 02 पद तथा सहायक लेखाधिकारी अराजपत्रित के 03 पद पढ़े जाय।
3. अधिसूचना के संलग्नक–1 के क्रमांक–17 में अवर अभियन्ता के पदनाम से जो 54 पद सृजित किये गये हैं को अवर अभियन्ता के स्थान पर कनिष्ठ अभियन्ता समझा जाय।
4. अधिसूचना के संलग्नक–2 के क्रम संख्या–38 में कृषि सांख्यिकी की फसलों के क्षेत्रफल व उसके अनुमान लगाने की योजना का जो उल्लेख किया गया है, को क्र0सं0 38 के स्थान पर 36 समझा जाय।
5. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्रमांक 7, 15 एवं 17 में मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग में सहायक कृषि विकास अधिकारी के 04 पद, सहायता कृषि निरीक्षक के 04 पद तथा कृषि प्रसार सहायक के 04 पद तथा जनपद चमोली

में 08–08 पद सृजित किये गये हैं। जनपद रूद्रप्रयाग में विकास खण्डों की संख्या 03 है तथा जनपद चमोली में विकास खण्डों की संख्या 09 है। अतः जनपद रूद्रप्रयाग में सहायक कृषि विकास अधिकारी, सहायक कृषि निरीक्षक व कृषि प्रसार सहायक के 03–03 पद तथा जनपद चमोली में 09–09 पद समझे जाय।

6. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्रमांक–7 पर मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा में सहायक कृषि विकास अधिकारी के 09 पद तथा जनपद बागेश्वर में 05 पद सृजित किये गये हैं। जनपद अल्मोड़ा में 11 विकासखण्डों तथा जनपद बागेश्वर में 03 विकासखण्ड है। अतः जनपद अल्मोड़ा में सहायक कृषि विकास अधिकारी के 9 पदों के स्थान पर 11 पद तथा जनपद बागेश्वर में 5 पदों के स्थान पर 03 पद सहायक कृषि विकास अधिकारी के पढ़े जायं, साथ ही क्रम संख्या–16 पर मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल के अधीन एक पद प्रक्षेत्र प्रबन्धक (वर्ग–3) का सृजित किया गया है, नैनीताल जनपद में कोई प्रक्षेत्र नहीं है। जनपद उद्यमसिंह नगर जनपद में पूर्व से ही एक प्रक्षेत्र स्थापित है। अतः प्रक्षेत्र प्रबन्धक के इस पद को मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल के स्थान पर जनपद उद्यमसिंह नगर पढ़ा जाय।
7. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्रम सं0–13 पर जनपद उद्यमसिंह नगर में वरिष्ठ लिपिक के 02 तथा जनपद चम्पावत में 03 पदों का सृजन किया गया है। जनपद चम्पावत उद्यमसिंहनगर की अपेक्षा छोटा जनपद है। अतः जनपद अधमसिंहनगर में वरिष्ठ सहायक के 03 पद तथा जनपद चम्पावत में 02 पद सृजित होना पढ़ा जाय।
8. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्रम सं0 15 जिसमें जनपद अल्मोड़ा व बागेश्वर में सहायक कृषि निरीक्षक के क्रमशः 9 एवं 5 पद सृजित किये गये हैं। जनपद अल्मोड़ा जनपद बागेश्वर की अपेक्षा बड़ा जनपद है। अतः अल्मोड़ा जनपद में सहायक कृषि निरीक्षक व कृषि प्रसार सहायक के 11–11 तथा जनपद बागेश्वर में 03–03 पद सृजित होना पढ़ा जाय।
9. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्र0सं0–18 में जिसके द्वारा जनपद उद्यमसिंहनगर तथा जनपद चम्पावत के लिए कनिष्ठ लिपिक के 02 एवं 04 पद सृजित किये गये हैं। जनपद उद्यमसिंहनगर जनपद चम्पावत की अपेक्षा बड़ा जनपद है। अतः जनपद उद्यमसिंहनगर में कनिष्ठ लिपिक के 4 पद तथा जनपद चम्पावत के लिए 2 पद सृजित होना पढ़ा जाय।
10. अधिसूचना के संलग्नक–4 के क्र0सं0–19 पर वाहन चालक के जनपद उद्यमसिंहनगर में 1 पद तथा जनपद चम्पावत में 2 पद सृजित किये गये है। दोनों जनपदों की आवश्यकता को देखते हुए जनपद उद्यमसिंहनगर में वाहन चालक के 2 पद तथा जनपद चम्पावत में 1 पद रखा जाना पढ़ा जाय।
11. अधिसूचना के संलग्नक–5 के क्रम सं0–2 एवं 4 पर वर्ग–1 का पदनाम जलागम प्रबन्धक तथा वर्ग–2 का पदनाम उप जलागम प्रबन्धक अंकित है, इसी आधार पर क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित जलागम सहायक का पदनाम सहायक जलागम प्रबन्धक अंकित किया जा रहा है। तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
12. अधिसूचना के संलग्नक–6 के क्रम सं0–3 एवं 4 में जनपद रूद्रप्रयाग में वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्ध सहायक के 5 पदों के स्थान पर 4 पद, एवं जनपद चमोली में 9 पदों के स्थान पर 10 पद जनपद में विकास खण्डों की संख्या कम/अधिक होने के कारण किया जा रहा है। इसी प्रकार आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग–3 के जनपद रूद्रप्रयाग में 4 पदों के स्थान पर 3 पद तथा चमोली में 8 पदों के स्थान पर 9 पद दोनों जनपदों में विकास खण्डों की संख्या कम/अधिक होने के कारण रखा जा रहा है। तदनुसार इसे सीमा तक संशोधित समझा जाय।
13. अधिसूचना के संलग्नक–6 के क्रम सं0–2 में जीवनाशी प्रबन्धन प्रभारी वर्ग–1 का पदनाम अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी (वर्ग–1)/क्रम सं0–3 में वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्धन सहायक का पदनाम सहायक कृषि रक्षा अधिकारी तथा क्रम सं0–4 में आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक का पदनाम कृषि रक्षा पर्यवेक्षक संशोधित समझा जाय।
14. अधिसूचना के संलग्नक–6 में कृषि रक्षा अनुभाग के लिए क्षेत्र परिचारक (वेतनमान 2550–3200) के पद सृजित नहीं हुए हैं, जबकि पूर्व व्यवस्था कि अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में 1–1 क्षेत्र परिचारक का पद सृजित था, जो ब्लोक स्तर पर कृषि रक्षा रसायनों का प्रसार–प्रसार एवं छिडकाव का कार्य ग्राम स्तर पर करते हैं। पूर्व में कार्यरत क्षेत्र परिचारकों को विभाग के पुर्नगठन में चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ सम्मिलित किया गया है। अतः चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत 560 पदों में से प्रत्येक विकासखण्ड के लिए 1–1 कुल 95 चतुर्थ श्रेणी के पदों को क्षेत्र परिचारक का पदनाम दिया जा रहा हैं, साथ ही कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय के लिए पूर्व अधिसूचना में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के पद सुजित नहीं किये गये हैं। अतः मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान में से कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु प्रत्येक जनपद में 1 वरिष्ठ लिपिक/1 कनिष्ठ लिपिक तथा 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। तदनुसार इसे इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
15. अधिसूचना के संलग्नक–6 के क्रमांक 3 एवं 4 में विकास खण्डों की संख्या कम/अधिक होने के कारण जनपद अल्मोड़ा में वर्ग–2 के 10 पदों के स्थान पर 12 पद तथा जनपद बागेश्वर में 6 पदों के स्थान पर 4 पद रखे जा

रहे हैं। इसी प्रकार जनपद अल्मोडा में आई0पी0एम0/कृषि रक्षा सहायक वर्ग–3 के 11 पद एवं जनपद बागेश्वर में 03 पद रखे जा रहे हैं। तदनुसार पूर्व अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

16. अधिसूचना के संलग्नक–7(1) के क्र0सं0–3 में जनपद हरिद्वार के लिए राजस्व निरीक्षक के 03 तथा देहरादून जनपद के लिए 1 पद सृजित किया गया है। दोनों जनपदों में विकासखण्डों की संख्या बराबर है, अतः कार्य में एकरूपता लोने के लिए जनपद हरिद्वार तथा देहरादून में राजस्व निरीक्ष के 2–2 पद रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार क्र0 सं0–4 में चतुर्थ श्रेणी के पदों को भी दोनों जनपदों में 2–2 पद रखा जा रहा है। पूर्व अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
17. अधिसूचना के संलग्नक–9(1) के क्रमांक–9 पर चतुर्थ श्रेणी का 1 पद जनपद हरिद्वार के लिए सृजित किया गया है, इस पद की जनपद हरिद्वार में आवश्यकता नहीं है। अतः इस पद को जनपद हरिद्वार से जनपद नैनीताल के लिए स्थानान्तरित किया जा रहा है। इस सीमा तक पूर्व निर्गत आदेश को संशोधित समझा जाय।
18. अधिसूचना के संलग्नक–10 (1) में क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर के स्थान पर पौड़ी अंकित हो गया है। चूंकि क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पूर्व से ही श्रीनगर में ही स्थापित है। अतः इसे पौडी के स्थान पर श्रीनगर ही पढ़ा जाय।

ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–570 / XIII / 2008–1(41) / 2002

प्रेशक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक कृषि,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 20 अगस्त, 2008**

विशयः कृषि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे को पुर्नगठित किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–कृ0नि0 / 610 / स्था0 / पुर्नगठन / 2008–09 दिनाँक 03 / 05 / 2008 के अनुक्रम में एवं कृषि विपणन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–956 / कृषि–1(41) / 2002 दिनांक 02 अगस्त, 2003 एवं तद्विषयक समस्त शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में सृजित कुल 274 पदों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढांचे को पदोन्नति निम्न विवरणानुसार पुनर्गठित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में सृजित किये जाने वाले पद	कुल सुजित पद
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	–	01
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I	5500–9000	03	03	06
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	5000–8000	–	20	20
4	मुख्य सहायक	4500–7000	16	53	69
5	प्रवर सहायक	4000–6000	74	8	82
6	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	180	84	96
योग –			**274**	**0**	**274**

2– वर्तमान में स्वीकृत 274 मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों हेतु एक ही नियुक्ति प्राधिकारी होने के शर्त के अधीन सहमति कि अधिसंख्यक पद कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने पर समायोजन की शर्त के अधीन वेतन आहरण किया जाता है। अतः ऐसे पदधारक मौलिक नियुक्ति समायोजन होने तक अपने वेतनमान में बने रहते हुए वेतन प्राप्त करेंगे।

3– कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग की प्रस्तर–1 में उल्लिखित सेवानियम अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त, 2003 में उक्तानुसार संशोधन तत्काल कर लिए जायंगे।

4– संवर्गीय ढांचे में उक्त पद पुनर्गठित होने का उल्लेख संगत नियमावली में किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–799 / XXVIII–7 / 2008 दिनांक 20 / 08 / 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–570/XIII/2008–1(41)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आयुक्त गढवाल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4,7 एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–720/XIII(1)/2008–1(41)/2002

प्रेशक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक, कृषि,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 22 अक्टूबर, 2008**

विशयः कृषि विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल सम्बवर्ग के संगठनात्मक ढांचे के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–कृ0 नि0–3241/स्था0/पुर्नगठन/ 2008–09 दिनाँक 29 सितम्वर, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदष हुआ है कि शासनादेश संख्या–570/XII/2008–1(41)/2002 दिनांक 20 अगस्त, 2008 द्वारा कृषि विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पुर्नगठन ढांचे में सृजित कुल 274 पदों की जनपदवार/अधिष्ठानवार फांट संलग्न विवरणानुसार स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश दिनाँक 20 अगस्त, 2008 की अन्य शर्त यथावत रहेंगी।

भवदीय,
ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–(1)/XIII–1/2008–1(41)/2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आयुक्त गढवाल, पौडी/कुमाऊ मण्डल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढपरल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4,7 एवं कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0/पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

कृषि विभाग के अधिष्ठान हेतु पुनर्गठित मिनिस्ट्रियल सम्वर्ग के पदों का जनदवार/ अधिष्ठानवार विभाजन का विवरण।

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	निदेशालय	मण्डलीय कार्यालय (2)		मु0कृ0 अ0(13)	कृ0ए0अ0(13)(प्रत्येक में बराबर)	स0नि0ज0प्र0(25)(प्रत्येक में बराबर बराबर)	प्रषि0 केन्द्र (2)		मु0रा0अ0	उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रया0(2)		मृदा परीक्षण प्रया0 (2)		सम्भागीय कृषि प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी	स्टेट बायो कन्ट्रोल लैब(2)		योग	अभ्युक्ति
				पौड़ी	हल्द्वानी				पौड़ी	मजखाली		श्रीनगर	रूद्रपुर	श्रीनगर	रूद्रपुर		देहरादून	भीमताल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(1)	वरिष्ट प्रशा0 अधि0	6500–10500	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–
(2)	प्रशा0 अधि0ग्रेड–1	5500–9000	04	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	06	–
(3)	प्रशा0 अधि0ग्रेड	5000–8000	04	01	01	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	मु0कृ0अ0 नैनीताल के यहां 2 पद (एक पद कोर्ट केस हेतु) अन्य में 1–1 पद।
(4)	मुख्य सहायक	4500–7000	09	02	02	23	–	25	01	01	–	01	01	02	01	01	–	–	69	मु0कृ0अ0 बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग में 1–1 पद अन्य में 2–2 पद।
(5)	प्रवर सहायक	4000–6000	10	02	02	23	13	25	01	01	01	01	01	01	01	–	–	–	82	मु0कृ0अ0 बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग में 1–1 पद अन्य में 2–2 पद प्रवर सहायक अन्य कार्यों के साथ–साथ आतमा का भी कार्य करेगें।
(6)	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	16	03	03	26	13	25	01	01	01	–	–	02	01	02	01	01	96	मु0कृ0अ0 देहरादून/पौडी/चमाली/उत्तरकाशी/ नैनीताल/अल्मोडा/ पिथौरागढ/टिहरी में विपणन कार्य हेतु 1–1 पद तथा शेष 18 कनिष्ठ सहायकों के पदों में से मु0कृ0अ0 पौडी/टिहरी/नैनीताल /अल्मोड़ा देहरादून में 2–2 अन्य में 1–1 पद।
	योग –		**44**	**09**	**09**	**86**	**26**	**75**	**03**	**03**	**02**	**02**	**02**	**05**	**03**	**03**	**01**	**01**	**274**	

ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 763/XIII-1/2008–3 (8)/2008

प्रेषक

विनोद फोनिया सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 20, नवम्बर,2008

<u>विषय– सिंगल विण्डो सिस्टम में न्यायपंचायत/विकासखण्ड/इकाई स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारी के सम्बन्ध में</u>

महोदय

शासन के पत्र संख्या– 460/XIII/–1/3(5) 2008 दिनांक 14.07.2008 द्वारा कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किये जाने के फलस्वरूप इस व्यवस्था में कर्मचारियों की तैनाती न्यायपंचायत स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या– 983/XIII–1/063(14) 2008 दिनांक 11 सितम्बर 2006 द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार कर्तव्य/दायित्व तथा अधिष्ठान से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारों के पूर्ननिर्धारण क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इकाई स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं न्यायपंचायत स्तर पर सिंगल विण्डो के तहत तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य दायित्वों का नियमानुसार निर्धारण करने की एतद्व द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत न्यायपंचायत/विकासखण्ड/इकाई स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य दायित्वो का निर्धारण

न्याय पंचायत स्तर– प्रत्येक न्याय पंचायत पर अधिनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 अथवा वर्ग–3 का एक कर्मचारी तैनात किया गया है। जो कृषि सम्बन्धी समस्त कार्यो का सम्पादन करेगा व उसके लिये उत्तरदायी रहेगा। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कर्मी के कार्य दायित्व निम्न प्रकार होगें।

1 न्याय पंचायत के समस्त आंकडों का एकीकरण जिसमें न्यायपंचायत का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल कृषि, वन उद्यान, सब्जी, बंजर, प्रति, कृषि आयोग्य, शुद्व बोया क्षेत्रफल, सकल बोया गया क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल, असिंचित क्षेत्रफल, आदि भूमि सम्बन्धी आंकडों का एकीकरण करेगा, तथा प्रत्येक वर्ष इसमें परिवर्तन होने पर इसमें सुधार कर वास्तविक आकडों को रखेगा, जो एक पंजिका में नियमित अभिलेख के रूप में रखे जायेंगे भूमि उपयोगिता के आकडों का मिलान राजस्व विभाग के अभिलेखों से किया जाना आवश्यक है।

2 बोई जाने वाली फसलों का विवरण एवं प्रत्येक फसल के अर्न्तगत क्षेत्रफल का वितरण। फसलों के बोये जाने वाले क्षेत्रफल में परिवर्तन होते रहते हैं अतः प्रत्येक खरीफ–रबी एवं जायद में वर्षवार आकडों का एक पंजिका में एकत्रीकरण होगा जिसमें फसलवार क्षेत्राच्छादन का विवरण रखा जायेगा।

3 न्यायपंचायत में कुल गांव एवं कुल राजस्व ग्राम, कुल जनसंख्या कृषक परिवार, लद्यु, सीमान्त, महिला कृषक आदि का वितरण।

4 कृषक जोतों का आकार व जोत अनुसार कृषक परिवारों का वितरण।

5 सिंचाई के साधन जल स्त्रोत एवं सिंचित अथवा असिंचित का वितरण महावार वर्षा के आकडों का वितरण।

6 विभिन्न परियोजनाओं एवं विभागों द्वारा अब तक कृषि एवं जलागम सम्बन्धी करायें गये कार्य उनके परिणाम तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्योरा।

7 न्यायपंचायत स्तर पर समस्त कृषि निवेशों जैसे बीज जैव उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन जैव रसायन, सूक्ष्म तत्व, कृषि रक्षा रसायन, जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी सागग्री आदि का भण्डारण एवं वितरण।

8 कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार।

9 समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनों का आयोजन।

10 प्रदर्शन का अवलोकन उनकी कटिंग एवं प्रदर्शन परिणाम रखना व उन्हें विकास खण्ड तकनीकी अधिकारियों को भेजना।

11 समय–समय पर लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण ।

12 जल संरक्षण एवं भूमि सरंक्षण संबन्धी कार्यो सर्वेक्षण करना एवं जलागम समितियों एवं जन सहयोग से प्लान बनवाना एवं उस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु भेजना परियोजना का नियोजन, व्यय अनुमान तैयार करना एवं विभिन्न प्रकार के पत्रों को तैयार करना। .

13 केन्द्र पोषित योजना में गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रमों के संचालन में समितियों का मार्गदर्शन करना।

14 स्वीकृति योजनाओं में जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वानस्पतिक आच्छादन नर्सरी सम्बन्धी तथा कच्चे य पक्के आदि कार्यो को दैनिक श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित कराना, श्रमिक चिठठे भरना तथा पक्के कार्यो को छोड़कर समस्त कार्यो का मापन करना पक्के कार्य अवर अभियन्ता के प्रर्यवेक्षण में सम्पादित कराये जायेगें कार्यो के भुगतान के समय चिठ्ठो पर भुगतान को सत्यापित करना।

15 क्षेत्र से मृदा मनूनों के एकाकीकरण करना उन्हें विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजना प्राप्त परिणामों को कृषकों का उपलब्ध कराना परीक्षण के आधार पर न्यायपंचायत स्तर पर मिटटी का प्रकार उसमें तत्वों एवं जीवांश की उपलब्धता का विवरण रखना।

16 समय–समय पर कृषकों के लिये कृषि भूमि एवं जलसंरक्षण के प्रशिक्षणों का आयोजन कराना तथा कृषकों को तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों विश्वविद्याालय एवं शोध केन्द्रों में भेजना।

17 जल संरक्षण, भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यो के अनुमोदित प्लान माप पुस्तिका एवं आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव एवं कार्यो के अनुसार समय–समय पर पूर्ण करना। जो योजनायें समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है उनके अभिलेख समितियों में रखना परन्तु समय–समय पर उनका अवलोकन करना एवं सही प्रकार रख–रखाव कराना।

18 जलागम समितियों के खातों से धनराशि आहरण में प्रतिहस्ताक्षर कर भुगतान सुनिश्चित करना।

19 अतिवृद्वि एवं सूखे की स्थिति में क्षति की अध्यावधिक सूचना रखना तथा उसे उच्च अधिकारियों को सूचित करना।

20 न्याय पंचायत स्तर पर कैश रसीद बुक, कैशबुक, लेजर भण्डार रसीद बुक, माप पुस्तिका आदि मूल अभिलेख रखें जायेगें। प्राप्त सामग्री की भण्डार रसीद निर्गत करना उसका भण्डार प्रपजी में अंकन कृषि निवेशों विक्रय पर कैश रसीद निर्गत करना रोकड़ आय एवं व्यय का विवरण कैश बुक में रखना कृषि निवेशों की बिक्री आदि से प्राप्त धनराशि को सुसंगत मद में समय से जमा करना प्रदर्शनों में उपलब्ध करायी गई सामग्री एवं अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि निवेश का समायोजन विवरण बना कर तथा अनुदान इत्यादि का बिल निर्गत कर उसे विकासखण्ड मे भण्डार प्रभारी को भेजना।

21 अनुदान, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, कृषि निवेशों वितरण आदि की पंजिकायें रखना एवं उनकों समय–समय पर पूर्ण करते रहना व उच्च अधिकारियों के भ्रमण पर उसका निरीक्षण कराना

22 न्याय पंचाचत स्तर पर एक निरीक्षण पंजिका रखी जायेगी जिसमें समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण पर आने वाले उच्च अधिकारियों की निरीक्षण एवं भ्रमण का विवरण अंकित होगा।

23 समय–समय पर चलाई जा रही विभिन्न जा रही विभिन्न जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यो की पंजिका रखी जायेगी जिसमें समस्त योजनाओं का संकलित उल्लेख रहेगा।

24 न्याय पंचायत पर एक समस्या सुझाव एवं शिकायत पंजिका रखी जायेगी जिसमें कृषक एवं जनप्रतिनिधि समय–समय पर अपना मन्तव्य लिख सकेगें।

25 जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन।

26 विभाग एवं सरकार द्वारा समय–समय पर चलाई जाने वाली कृषि, भूमि एवंज ल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना। समिति द्वारा निष्पादित कार्यो में सचिव द्वारा भरें जा रहें श्रमिक चिट्ठों का सत्यापन करना।

27 क्षेत्र विशेष के लिए वहां की आवश्यकतानुसार स्थानीय कृषकों के मध्य बैठकर जल संरक्षण/भूमि संरक्षण आधारित कृषि विकास की योजनायें तैयार करना जिससे उत्पादन में वृद्वि के साथ–साथ कृषकों के आय के स्त्रोत बढ़े रोजगारपरक कृषि का विकास हो सके तथा पलायन वाद को रोका जा सके।

28 साप्तहिक,पाक्षिक एवं मासिक सूचनायें तैयार कर विकासखण्ड प्रभारी को उपलब्ध कराना।

29 उच्च स्तर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन करना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को निर्देशानुसार सम्पन्न करना।

नियत्रणः– न्याय पंचायत स्तर पर तैनात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 एवं वर्ग–3 का कर्मयारी पूर्ण रूप से विकासखण्ड प्रभारी के नियंत्रण में रहेंगे। इन कार्मियों को आकस्मिक अवकाश विकासखण्ड प्रभारी देगा।

2 विकासखण्ड स्तरः–

(अ) विकासखण्ड प्रभारी– (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1/वरिष्ठ वर्ग–2 का कर्मी) विकासखण्ड स्तर पर तैनात यह कर्मी कृषि कार्यो के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा जिसके कार्यदायित्व निम्न प्रकार हैं।

1. न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर तैनात भण्डार प्रभारी पर नियंत्रण, वेतन आहरण हेतु उपस्थिति एवं वेतन मांग पत्र सहायक निदेशक को भेजना
2. विभाग/उच्च स्तर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशो एवं कार्य लक्ष्यों को न्याय पंचायतों में भेजना एवं उनका क्रियान्वयन कराना।
3. न्याय पंचायतों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, उन्हें संकलित कर सहायक निदेशक एवं जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराना।
4. समय–समय पर न्याय पंचायत कर्मियों की बैठक कराना, ताकि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं कार्यो का सही क्रियान्वयन व अनुश्रवण हो सकें।
5. फसल प्रदर्शन, जैविक कृषि कार्यक्रम, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बासमती कार्यक्रम, आई0पी0एम0 कार्यक्रम, कृषि यंत्र वितरण आदि समस्त कार्यो का समय–समय पर निरीक्षण करना, निरीक्षण/सत्यापन करना तथा निरीक्षण रिपोर्ट जारी करना।
6. न्याय पंचायत स्तर पर चलाये जा रहे जल एवं भूमि संरक्षण के कच्चे व पक्के कार्यो का 50 प्रतिशत निरीक्षण एवं सत्यापन करना। न्याय पंचायत स्तर से अथवा क्षेत्र समिति से प्राप्त प्रस्तावों को अपनी संस्तुति तथा औचित्य सहित उच्च अधिकारियों को भेजना।
7. जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी कराये गये कार्ये को माप पुस्तिका में सत्यापन करना एवं भुगतान हेतु संस्तुति करना।
8. जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी कराये गये कार्यो को माप पुस्तिका में सत्यापन करना एवं भुगतान हेतु संस्तुति करना।
9. समय–समय पर विकासखण्ड एवं न्यायपंचायत के भण्डारों का निरीक्षण करना। प्रत्येक भण्डार का खरीफ, रबी एवं जायद में एक–एक निरीक्षण करना एवं निरीक्षण रिपोर्ट जारी करना।
10. फसल प्रदर्शनों की क्रापकटिंग में जाना तथा न्याय पंचायतो से प्राप्त फसल प्रदर्शन परिणामों तथा क्रापकटिंग परिणामों का उच्च स्तर पर भेजना।
11 न्याय पंचायतों द्वारा एकत्रित प्राथमिक सूचनाओं एवं आकड़ों का विकासखण्ड पर संकलित कर पंजिका रखना तथा विकासखण्ड स्तरीय आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन रखना
12. समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना।
13. क्षेत्र समिति की बैठकों एवं तहसील दिवसों में भाग लेना।
14 विकासखण्ड स्तर पर समस्त कृषि कार्यो के प्रति उत्तरदाई रहना।

15. इस कर्मचारी का कार्यालय विकासखण्ड स्तर पर स्थिति कृषि निवेश भण्डार पर एक कक्ष अथवा पूर्व में जिस भण्डार पर कृषि रक्षा का गोदाम था, पर जो कि विकासखण्ड मुख्यालय के नजदीक होगा में रहेगा। यह कर्मी खण्ड विकास अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त रहेगा ताकि कृषि कार्यो का सही प्रकार संचालन, मूल्याकन एवं अनुश्रवण हो सकें।
16. समय–समय पर राष्ट्रीय कार्यो को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार करना।

नियंत्रणः– यह कर्मी इकाई स्तर श्रेणी–2 के अधिकारी सहायक निदेशक के नियन्त्रण में कार्य रहेगा।

(ब) भण्डार प्रभारीः– विकासखण्ड स्तर पर कृषि निवेशों के भण्डारण एवं आपूर्ति हेतु एक भण्डार रखा गया है। जहां पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 के कर्मचारी का पद रखा गया हैं। जिसके कार्यदायित्व निम्न प्रकार होगे।

1. जनपद/मण्डल/राज्य से प्राप्त कृषि निवेशों को प्राप्त कर उसका सुनिश्चित भण्डारण करना।
2. न्याय पंचायतों में आवश्यकतानुसार अथवा आवंटनानुसार कृषि निवेशों की आपूर्ति करना तथा आपूर्ति की जा रही सामग्री का बिल निर्गत करना।
3. भूमि संरक्षण जल संरक्षण सम्बन्धी सामग्री विकासखण्ड में चलाई जा रही योजनाओं हेतु प्राप्त करना एवं उन्हें सम्बन्धित न्याय पंचायतों एवं उनकी परियोजनाओं/समितियों तक पहुॅचाना।
4. भण्डार सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख–रखाव करना जैसे– भण्डार रसीद निर्गत करना बिल निर्गत करना, निर्गत बिलों के सापेक्ष भण्डार रसीद प्राप्त करना, कैश रसीद, बुक, कैशबुक भरना, भण्डार प्रपंजिकाओं में अंकन करना, मांग एवं आपूर्ति पत्रावलियां रखना आदि।
5 विकासखण्ड प्रभारी प्राविधिक सहायक को कार्यो में सहयोग करना, उसके साथ विकासखण्ड स्तरीय सूचनाओं का संकलन आदि करना तथा कार्यालय कार्य में सहयोग करना।
6. खरीफ, रबी एवं जायद में सुनिश्चित करना कि बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायनों आदि की जो आपूर्ति न्याय पंचायतों में की गई है। भण्डार पर बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों के विक्रय की धनराशि कोषागार में अथवा कार्यालय में जमा कर दी गई है, अथवा नहीं यदि धनराशि समय से जमा नहीं हुई है तो उसे जमा कराना, जमा न किये जाने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को सूचित करना।
7. भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं हेतु आपूर्ति की गई सामग्री को योजना क्षेत्रों में सही प्रकार पहुॅचाना।
8. वर्ष के अन्त में कृषि निवेशों का विकास खण्ड स्तर पर तुलनपत्र तैयार करना एवं उसे मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना।
10. सभी प्रकार के प्रदर्शनों के लिए उत्तरदाई न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित कराये जाने वाले प्रदर्शनों हेतु निवेशों की आपूर्ति करना, समय–समय पर अवलोकन, सत्यापन, क्राप कटिंग करना। न्याय पंचायत से प्राप्त परिणामों को संकलित कर विकास खण्ड प्रभारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजना।
11. क्षेत्र में आयोजित कराये गये प्रर्दशनों एवं अनुदान पर वितरित किये गये कृषि निवेशों के समायोजन एवं बिल न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी से प्राप्त कर तदो्परान्त बिल को भुगतान हेतु विकासखण्ड प्रभारी, सहायक निदेशक के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना।
12. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यदि अन्य विभागों को सामाग्री दी जाती है तो उसका बिल निर्गत करना व भुगतान सुनिश्चित करना।
13. उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना।

नियंत्रणः– यह कर्मचारी विकासखण्ड स्तर पर तैनात विकासखण्ड प्रभारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

विकासखण्ड स्तर पर चतुर्थ श्रेणीः–

पूर्व व्यवस्था में कृषि–बीमा भण्डार तथा कृषि रक्षा इकाई पर चतुर्थ श्रेणी कार्यरत थे, यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिंगल विण्डों सिस्टम में विकास खण्ड स्तर पर कृषि निवेश भण्डार पर रहेंगे। विकासखण्ड प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

सिंगल विण्डो सिस्टम के अर्न्तगत विकासखण्डों एवं न्याय पंचायत स्तर के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं कृषि कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन हेतु श्रेणी–2 के अधिकारियों की तैनातीः–

पूर्व व्यवस्था में जलागम सम्बन्धी कार्यो के देखरेख के लिए 25 जलागम प्रबन्धन इकाईया स्थापित थी। सिंगल विण्डो सिस्टम के अर्न्तगत जलागम (भूमि संरक्षण), कृषि रक्षा एवं सामान्य कृषि के कर्मचारियों की तैनाती न्याय पंचायत एवं विकासखण्डों में हो जाने के कारण इकाई स्तर पर तैनात सहायक निदेशक नई व्यवस्था के तहत जलागम (भूमि संरक्षण) के अलावा/विकासखण्ड/न्याय पंचायत स्तर पर सभी कृषि सम्बन्धी कार्यो के प्रति उत्तरदायी बनाये गये है जिसके तहत 95 विकासखण्डों की कार्य पर्यवेक्षण की दृष्टि से 35 इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई के अर्न्तगत 2 या 3 विकासखण्ड आवंटन किये जा रहे है। इन 10 इकाईयों पर सहायक निदेशक, (प्रसार) श्रेणी–2 जो कि वर्तमान में मुख्य कृषि अधिकारी, कार्यालयों में है की तैनाती की जायेगी। इन अधिकारियों के मुख्यालय एवं उनके अधीन आने वाले विकासखण्डों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पूर्व स्थापित इकाई का नाम	सहायक निदेशक के प्रस्तावित कार्यालय का मुख्यालय	प्रस्तावित कार्यालय के अधीन आने वाले विकास खण्ड
1	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी, कोट, कल्जीखाल
		सतपुली	सतपुली	द्वारीखाल, ऐकेश्वर,जहरीखाल
		दुगड्डा	दुगड्डा	दुगड्डा, यमकेश्चर, रिखणीखाल
		कोटद्वार	बीरोंखाल	नैनीडॉडा, बीरोखाल, पोखडा
			थैलीसैंण	खिर्सू, पॉवो, थैलीसैंण
2	चमोली	गोपेश्वर	गोपेश्वर	घाट, दसोली, जोशीमठ
		कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग, गैरसैंण, पोखरी
			थराली	नारायणबगड़, देवाल, थराली
3	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ऊखीमठ, जखोली, अगस्तमुनि
4	टिहरी	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर, देवप्रयाग
		नई टिहरी	नई टिहरी	जाखणीधार, भिलंगना
		नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर, थत्यूड
			चम्बा	प्रतापनगर, चम्बा, थौलधार
5	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	डुण्डा, भटवाड़ी
		बडकोट	बडकोट	नौगांव, चिन्यालीसौड़
			मोरी	मोरी, पुरोला
6	देहरादून	कालसी	रायपुर	डोईवाला, रायपुर
		विकासनगर	विकासनगर	कालसी, चकराता
			सहसपुर	विकासनगर, सहसपुर
7	हरिद्वार	रूड़की	रूड़की	नारसन, रूड़की, लक्सर
			हरिद्वार	भगवानपुर, बहादराबाद, खानपुर
8	ऊधमसिंहनगर	रूद्रपुर	रूद्रपुर	खटीमा, सितागंज, रूद्रपुर
			काशीपुर	काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर
9	नैनीताल	हल्द्वानी	हल्द्वानी	हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग
		भीमताल	भीमताल	भीमताल, बेतालघाट

			धारी	धारी, ओखलाकॉडा, रामगढ़
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	भैसियाछाना, लमगड़ा, धौलादेवी
		ताड़ीखेत	चौखुटिया	चौखुटिया, द्वाराहाट, भिकियासैण
		रानीखेत	रानीखेत	हवालबाग, ताड़ीखेत,ताकुला
			सल्ट	सल्ट, स्याल्दे
11	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड़, कपकोट
		पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	विण, मुनाकोट, कनालीछीना
12	पिथौरागढ़	डीडीहाट	डीडीहाट	धारचुला, मुनस्यारी, डीडीहाट
			बेरीनाग	बेरीनाग, गंगोहाट
13	चम्पावत	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट, पाटी, चम्पावत, वाराकोट
योग	13	25	35	95

प्रस्तावित श्रेणी–2 के अधिकारी सहायक निदेशक के कार्यालय हेतु स्टाफ की व्यवस्था

यह अधिकारी श्रेणी–2 का हैं। इसके कार्यालय में मुख्य रूप से निम्नानुसार स्टाफ होगा। पूर्व स्वीकृत 25 जलागम प्रबन्धन इकाईयों एवं मुख्य कृषि अधिकारी कार्यलयों में तैनात कर्मचारियों से ही उपरोक्त 35 इकाईयों में निम्नानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे–

क्र0 सं0	पदनाम	प्रत्येक सम्भाग हेतु पदों की संख्या	36 सम्भागों हेतु कुल पदों की आवश्यकता	पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान व्यवस्था में पूर्व स्वीकृत पदों से अधिक पदों की आवश्यकता	वर्तमान व्यवस्था में पूर्व स्वीकृत पदों की बचत
1	सहायक निदेशक श्रेणी–2	1 पद	35 पद	25 पद	10 पद	–
2	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	1 पद	38 पद	25 पद	13 पद	–
3	अवर/कनिष्ठ अभियन्ता	1 पद	35 पद	50 पद	–	15 पद
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	1 पद	38 पद	100 पद	–	62 पद
5	सहायक लेखाकार	1 पद	35 पद	25 पद	10 पद	–
6	वरिष्ठ सहायक	1 पद	35 पद	25 पद	10 पद	–
7	कनिष्ठ सहायक	1 पद	35 पद	50 पद	–	15 पद
8	मानचित्रक	1 पद	35 पद	25 पद	10 पद	–
9	अनुरेखक	–	–	25 पद	10 पद	15 पद
10	ड्राइवर	1 पद	35 पद	25 पद		–
11	चतुर्थ श्रेणी	2पद/3पद	100 पद	100 पद		

उक्तनुसार पदो पर कर्मचारियों की तैनाती निम्न व्यवस्था के तहत होगी–

1. श्रेणी–2 अधिकारी–10 श्रेणी–2 के अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में तैनात सहायक निदेशकों की तैनाती से भरें जायेगें।

2. अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1– सिंगल विण्डों सिस्टम में पूर्व में ही कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी हैं।

3. कनिष्ठ अभियन्ता– पूर्व व्यवस्था में प्रत्येक इकाई पर 2 कनिष्ठ अभियन्ता कुल 50 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत थे जिनमें से 35 कनिष्ठ अभियन्ता कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों में, एवं 13 कनिष्ठ अभियन्ता मुख्य कृषि अधिकारी कार्यलयों में तैनात किये जायेगें। जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा बडे जनपद हैं अतः इन जनपदों में 2–2 कनिष्ठ अभियन्ता तैनात रहेंगें।

4. अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2– सिंगल विण्डो सिस्टम के अर्न्तगत कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया ळें

5. सहायक लेखाकार–10 सहायक लेखाकार जनपदों से सम्भागीय कार्यालयों में तैनात किये जायेंगे।

6. मानचित्रक एवं अनुरेखक–10 मानचित्रक के पदों पर वरिष्ठ एवं शैक्षिक योग्यता वाले अनुरेखक तैनात किये जायेंगे। शेष 15 अनुरेखकों को मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में तैना किया जायेगा। इस संवर्ग को मृत कैडर घोषित करने का प्रस्ताव हैं।

7. वरिष्ठ सहायक– इकाई कार्यालयों हेतु 10 वरिष्ठ सहायकों की आवश्यकता होगी जिनकी तैनाती मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से की जायेगीं।

8. कनिष्ठ सहायक– 14 कनिष्ठ सहायकों के पदों की बचत होती है जिनकी तैनाती मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में की जायेगी।

इकाई स्तर पर श्रेणी–2 के अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यदायित्वः–

(अ) सहायक निदेशक, श्रेणी–2–

1 विकासखण्ड एवं न्यायपंचायत स्तर पर तैनात कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना।

2. विकासखण्ड स्तर पर तैनात प्रभारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना एवं कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि नियमानुसार स्वीकृत करना अथवा मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना।

3 वेतन आहरण हेतु वेतन बिल/वेतन मांगपत्र मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना।

4 इकाई स्तर के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें अवकाश सम्बन्धी अभिलेख एवं वार्षिक चरित्र प्रविष्टि सम्बन्धी पत्रावलिया रखना एवं उन्हें समय–समय पर पूर्ण करना। स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रखरखाव।

5 विकासखण्डों के भण्डारों एवं न्याय पंचायतों पर खरीफ रबी एवं जायद हेतु समय से कृषि निवेशों (बीज,उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्र आदि) की मांग मुख्य अधिकारी को भेजना एवं उसकी पूर्ति सुनिश्चित कराना।

6 भूमि संरक्षण सम्बन्धी सामग्री की मांग मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना व पूर्ति सुनिश्चित करना।

7 खरीफ, रबी एवं जायद में गोष्ठियों का आयोजन सुनिश्चित कराना तथा समय–समय पर चलाये जा रहे कृषक महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। विभिन्न प्रशिक्षणों में भागीदारी विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, जैविक कृषि, बीजोत्पादन कार्यक्रम, कृषि रक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो का समय–समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एवं समय–समय पर इन कार्यो का निरीक्षण एवं सत्यापन।

8 जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय कृषि से जोड़ते हुये इस प्रकार योजना तैयार करना कि जिससे जल का संरक्षण हो, मिट्टी क्षरण रोका जा सके, भूमि कटान रोका जा सके, नमी का संरक्षण हो सके, कृषि उत्पादन में वृद्वि हो तथा रोजगार परक कृषि का विकास हो सके।

9 इकाई स्तर के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, सूक्ष्म अधिकारी/मण्डलीय अधिकारी एवं जिला भूमि एवंज ल संरक्षण समिति से उसका अनुमोदन कराना।

10 इकाई के समस्त कच्चे एवं रू0 20 हजार तक के लागत के पक्के कार्यो का तकनीकी अनुमोदन देना।

11 इकाई की समस्त परियोजनाओं के कार्यो का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था करना एवं देय धनराशियों के अभिलेखों के रख–रखाव का प्रबन्धन करना।

12 प्रत्येक विकासखण्ड की दो–दो परियोजनाओं का प्रति माह शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा सुनिश्चित करना की इकाई में सम्पादित कार्यो का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्तरों पर पूर्ण कर लिया जाय।

13 पक्के कार्यो के निष्पादन हेतु निर्माण सामाग्री की इकाई स्तर पर व्यवस्था करना।

14 इकाई स्तर पर समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो को विभागीय दिशा निर्देशानुसार पूर्ण करना।

15 इकाई को आवंटित समस्त धनराशि का वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना एवं उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।

16 भूमि संरक्षण कार्यो पर व्यय की गई धनाराशि का अभिलेख तैयार करना। लाभार्थी एवं जिलाधिकारी को वसूली हेतु प्रेषित करना।

17 तहसील दिवस, क्षेत्र समिति आदि बैठकों में भाग लेना।

18 उच्च अधिकारियों/उच्च स्तर से समय–समय पर पारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना तथा प्रदेश अथवा भारत सरकार से प्राप्त नयी योजनाओं को क्रियान्वित कराना।

19 समय–समय पर चलायी जा रही योजनाओं का निरीक्षण करना उनकी गुणवत्ता एवं उपयोगिता की जांच करना एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

20 क्षेत्र में चलाये जा रहे कृषि से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करना। इकाई स्तर से भूमि संरक्षण के 50 प्रतिशत कार्यो का इकाई स्तर से एवं 50 प्रतिशत विकासखण्ड स्तर से सत्यापन सुनिश्चित कराना।

21 समय–समय पर भण्डारों एवं न्याय पंचायत स्तर पर स्थित कृषि निवेश केन्द्र/कार्यालय का निरीक्षण करना।

22 इकाई स्तर पर समस्त कृषि कार्यो के लिए उत्तरदायी।

23 समय–समय पर मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा एवं उच्च स्तर से निर्देशित कार्यो का सम्पादन करना।

(ब) अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1

1 उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों को विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतों तक भेजना।

2 न्याय पंचायत/विकासखण्ड से प्राप्त सूचनाओं का संभागीय स्तर पर संकलन कर उच्च स्तर को भेजना।

3 समय–समय पर कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

4 इकाई स्तर पर समस्त प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिवेदनों को तैयार करना।

5 क्षेत्र में आयोजित प्रदर्शनों कृषि रक्षा कार्यक्रमों एवं जल संरक्षण/भूमि संरक्षण सम्बन्धी (कच्चे व पक्के कार्यो का) 50 प्रतिशत निरीक्षण एवं सत्यापन करना।

6 समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना।

7 विभिन्न प्रकार के राजकीय स्तर से कराये गये कार्यो के अभिलेखों का रख रखाव करना तथा उनसे सम्बन्धित दायित्वों को समय से तैयार करना एवं वसूली का पूर्ण विवरण रखना।

8 सहायक निदेशक के निर्देशन में आवश्यकतानुसार कार्यो का सम्पादन करना।

(स) अवर अभियन्ता

1 इकाई के अर्न्तगत विभिन्न न्यायपंचायत स्तर पर कराये जाने वाले समस्त पक्के कार्यो के सर्वेक्षण में सहयोग करना एवं प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पक्के कार्यो का आगणन एवं प्लान तैयार करना, अनुमोदन हेतु भेजना।

2 जल विकास, नालिया तथा नाला नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण कर उनके एल एवं क्रॉस सैक्सन तैयार करना।

3 प्रस्तावित पक्के कार्यो का डिजाइन एवं अनुमान लेखा तैयार करना।

4 पक्के कार्यो के सम्पादन में न्याय पंचायत स्तर के कर्मी को समय–समय पर मार्ग निर्देशन देना।

5 स्वीकृत प्लान/वित्तीय स्वीकृति के अनुसार पक्के कार्यो का क्रियान्वयन कराना।

6 पक्के कार्यो का शतप्रतिशत निरीक्षण एवं मापन करना तथा भुगतान हेतु संस्तुत करना।

7 सम्भाग स्तर पर प्राप्त स्वीकृतियों एवं निर्देशों को विकासखण्ड/न्यायपंचायत स्तर तक भेजना, संभाग स्तर पर प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर उच्च स्तर को भेजना।

8 समय–समय पर सहायक निदेशक के निर्देशों के अनुसार कार्यो का सम्पादन करना।

(द) अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2

1 कृषि रक्षा सम्बन्धी उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों को विकासखण्ड/न्यायपंचायतों को भेजना एवं प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना।

2 जैविक कृषि से सम्बन्धित निर्देशों को विकासखण्ड/न्यायपंचायतों को भेजना उनके अभिलेख रखना, सूचनाओं का एकत्रीकरण करना एवं उच्च स्तर तक भेजना।

3 दलहन/तिलहन विकास सम्बन्धी निर्देशों को विकासखण्ड/न्यायपंचायतों को भेजना उनके अभिलेख रखना, सूचनाओं का एकत्रीकरण करना एवं उच्च स्तर तक भेजना।

4 सूचनाओं को तैयार करने में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 का सहयोग करना।

5 सहायक निदेशक द्वारा समय–समय पर निर्देशित कार्यो को करना।

(य) मानचित्रक

1 प्राप्त प्रस्तावों/सर्वेक्षण के अनुसार प्लान मैप बनाना।

2 कार्य सम्पादन के उपरान्त माप पुस्तिका के अंकन का स्वीकृत आगणन एवं स्वीकृत प्लान मैप के मिलान करना।

3 कनिष्ठ अभियन्ता के साथ सूचनाओं के संकलन एवं प्रेषण में सहयोग करना।

4. सहायक निदेशक के निर्देशानुसार समय–समय पर निर्देषित कार्यो को क्रियान्वयन करना।

जनपद स्तरः मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान–

मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान में कार्यदायित्व पूर्व की भांति रहेंगे। यह अधिकारी जनपद में कृषि का नोडल अधिकारी होगा तथा इकाई स्तर के अधिकारियों/कार्यालयों, विकासखण्ड सतरीय कर्मचारियों एवं न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियों पर इनका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। जनपद के अन्तर्गत न्याय पंचायतों, विकासखण्डों एवं सहायक निदेशक कार्यलयों में कर्मचारियों की आवश्यक व्यवस्था उलब्धता के अनुसार एवं कार्य की महत्ता के अनुसार करेंगे। कृषि रक्षा अधिकारी का कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यलय के साथ ही रहेगा। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय सभी प्रकार के कार्यो का निर्देश, संकलन एवं सूचनाओं के प्रेषण का कार्य करेगा। नई व्यवस्था में मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान में एक अवर अभियन्ता तैनात रहेगा जो पक्के कार्यो का प्लान स्वीकृत करने/जांच करने में मुख्य कृषि अधिकारी की सहायता करेगा तथा समय–समय पर मुख्य कृषि के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शासनादेश सं0 983/ग्ण्–1/06 3(14) 2008 दिनांक 11 सितम्बर 2006 में इगिंत अन्य स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य /दायित्व तथा अधिष्ठान से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकार पूर्ववतः रहेंगें।

भवदीय
ह0–
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 763/XIII–1/2008–3(8)/2008 तददिनांक 20.11.08

प्रतिलिपिः निम्न एवं सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखड।
5. अपर कृषि निदेशक पौड़ी।
6. सयुक्त कृषि निदेशक कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
7. समस्त उपकृषि निदेशक/मुख्य कृषि अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली

आज्ञा से,
ह0–
(सी0एम0एस0 बिष्ट)
अपर सचिव

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/4497/स्था0–एक/सिंगल विण्डो/2006–9/दिनांक 21 नवम्बर, 2003

प्रतिलिपिः– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/ कृप्या शासनादेश के अनुसार परिपालन सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

संख्या–188/XIII/2009–3(16)/2006

प्रेशक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक।
उत्तरांचल, देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 03 मार्च, 2009**

विशय : स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक के पदो के पुर्नगठान विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–3673/स्था0–2/आशुलिपिक/2008–09 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0–956/कृषि–1(41)/2002 दिनांक 2/08/2003 द्वारा कृषि विभाग का पुर्नगठन किया गया था। कृषि विभाग के उक्त उपर्नगठन में आशुलिपिक (वेतनमान 4000–6000) है। के 20 पद आशुलिपिक ग्रेड–2 (वेतनमान रू0 5000–8000) के 5 पद, आशुलिपिक ग्रड–1 (वेतनमान 5500–9000) का 2 पद एवं वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (वेतनमान 6500–10500) का 1 पद, इस प्रकार आशुलिपिक संवर्ग में कुल 28 पद स्वीकृत किये गये हैं।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0–110/XXVII(7)/2006, दिनांक 29 जून, 2006 में निहित षर्तों/प्राविधानों के अधीन कृषि विभाग के पुर्नगठन/सृजन की अधिसूचना सं0–956/कृषि–1(41)/2002 दिनांक 2/8/2003 में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृत कुल 28 पदों के सापेक्ष वेतनमान 10000–15200 तथा इससे उच्च वेतनमान के कुल पदधारकों जिन्हें आशुलिपिक अनुमन्य है, के आधार पर मानक अनुसार कुल 27 पदों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु आशुलिपिक संवर्ग में पदों को 50:30:15:05 के अनुपात में निम्न प्रकार पुर्नगठित किया जाता है–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनवैण्ड/ग्रेड–पे	पदों की संख्या
1	आशुलिपिक ग्रेड–2	रू0 5200–20200/रू0 2400	**14**
2	आशुलिपिक ग्रेड–1	रू0 9300–34800/रू0 4200	**08**
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	रू0 9300–34800/रू0 4200	**04**
4	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	रू0 9300–34800/रू0 4200	**01**
	योग –	–	**27**

3– उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 के अनुसार पदों की अर्हताएं के विशय में आवश्यक व्यवस्था तथा पदों की उक्तानुसार व्यवस्था सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में कराये जाना अविलम्ब सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय सं0–1656/ग्टप्(7)/2009, दिनांक 06 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहकति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0–
(डॉ0 रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या– /XIII(1)/2009–3(16)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, माजरा, हेदरादून।
2. महालेखाकार आडिट, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4/(वे0आ0–सा0नि0)–7, उत्तराखण्ड।
10. कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव।

प्रेशक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक।
उत्तरांचल, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 10 नवम्बर, 2009**

विशय : स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वाहन चालक के संवर्गीय ढांचें के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र सं0–4969 / स्था0 / वाहन चालक / 2008–09 दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग में वाहन चालक के संवर्गीय ढांचे को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 108 / ग्टप्;7द्ध / 2006 दिनांक 03 / 07 / 2006 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निम्नानुसार पुर्नगठित किये जान की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमवैण्ड / ग्रेड–पे	पदों की संख्या
1	वाहन चालक ग्रेड–1	रू0 9300–34800 / रू0 4200	03
2	वाहन चालक ग्रेड–2	रू0 5200–20200 / रू0 2400	19
3	वाहन चालक ग्रेड–3	रू0 5200–20200 / रू0 1900	19
4	वाहन चालक ग्रेड–4	रू0 5200–20200 / रू0 1800	23
योग –			**64**

2– उक्त पदों पर सम्बन्धित वाहन चालकों की निर्धारित सेवा अवधि तथा निर्धारित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की शर्त के साथ वाहन चालक ग्रेड के अनुसार वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा और उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2006 के अनुसार विभिन्न ग्रेड के पद के लिए सेवावधि, अर्हता व अन्य षर्तों की व्यवस्था संगत सेवा नियमों में अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभागके अशासकीय संख्या–2208 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 06 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0–
(डॉ0 रणवीर सिंह)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः–225 / XIII(1)2010–03(05)2006
देहरादून दिनांक 11 मार्च 2010

अधिसूचना

कृषि विभाग में उपलब्ध संगठनों के अन्तर्निहित पदों के पुनर्गठन विषयक अधिसूचना संख्याः–956 / कृषि– 1(41) / 2002 दिनांक 02 अगस्त 2003 द्वारा निर्गत आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) कृषि विभाग के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना संख्याः–956 / कृषि–1(41) / 2002 दिनांक 02 अगस्त 2003 के संलग्नक–1 के क्रमांक–14 पर अंकित वरिष्ठ मानचित्रक टंकित है, के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 पढ़ा जाय तथा क्रमांक–23 पर अंकित मानचित्रक टंकित है, के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 पढ़ा जाय।

(2) उक्त अधिसूचना में जहॉ–जहॉ वरिष्ठ मानचित्रक एवं मानचित्रक पदनाम टंकित है, वहां–वहां पर उपरोक्त के साथ क्रमशः अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 पढ़ा जायें।

2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्याः–227(NP) / XXVII–4 / 2010 दिनांक 09 मार्च 2010 में प्राप्त उनकी समहति से निगर्त किये जा रहे है।

ह0–
(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः–225 / XIII(1)2010–03(05)2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महामहित श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी / आडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी / कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
8. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, देहरादून।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को राजयकी असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड ख में प्रकानार्थ एवं संशोधित सूचना की 200 प्रति उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः–481 / XIII–1 / 2010–3(08) / 2006
देहरादून दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक स्वरूप के दृष्टिगत राज्य में कृषि विकास को गति देने, कृषकों को कृषि से सम्बन्धित सभी प्रकार के वैज्ञानिक / तकनीकी जानकारियों एवं सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्याओं / जिज्ञासाओं का समाधान उसी स्थान पर सुनिश्चित करने, कृषि मे पर्याप्त विविधता, उत्पादन एवं उत्पादकता में उपलब्ध अन्तर को कम करने उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढाने के दृष्टिगत, निम्नानुसार / संलग्नानुसार कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम स्थायी रूप से लागू करने तथा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के पदो के पुनर्गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

सिंगल विण्डों सिस्टम–

शासनादेश संख्याः–460 / XIII / 2008–3(8) / 2008 दिनांक 14 जुलाई 2008 से अस्थाई रूप से चल रही सिंगल विण्डों सिस्टम को स्थायी रूप से लागू किया गया है, जिसके तहत –

1. न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक न्याय पंचायत में एक कृषि कर्मचरी जिसका पदनाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 अथवा वर्ग–2 रखा गया है, की तैनाती की गयी है। जो वहॉ पर जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, पौध संरक्षण एवं सामान्य कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के साथ–साथ प्रचार प्रसार का कार्य भी करेगा। प्रदेश की कुल 670 न्याय पंचायतों में प्रत्येक में एक–एक सहायक कृषि अधिकारी तैनात किया गया है, जिसके तहत 483 पर्वतीय क्षेत्र की न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 की तैनाती की गयी है तथा 187 तराई / भाबर / मैदानी न्याय पंचायतों मे तथा प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय की न्याय पंचायत में सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 की तैनाती की गयी है।
2. विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 की तैनाती की गयी है। जो विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त कृषि कार्यों एवं क्षेत्र पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा।
3. विकासखण्ड मुख्यालय पर एक कृषि निवेश केन्द्र होगा जिस पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 की तैनाती गयी है, यह कर्मचारी विकासखण्ड के अन्तर्गत बीज, कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वर्ष की बेलेन्सशीट तैयार करेगा एवं विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त प्रदर्शनों का लेखा–जोखा आदि रखेगा तथा समय–समय पर प्रदर्शनों का निरीक्षण भी करेगा।

(विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतवार पदों का विवरण संलग्नक–1)

4. पूर्व व्यवस्था मे 25 जलागम प्रबन्धन इकाईयां स्वीकृत थी। नई व्यवस्था में इनकी संख्या बढाकर 35 कर दी गयी है तथा इनका नाम परिवर्तित कर सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन के स्थान पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रखा गया है तदनुसार ही उसके कार्यालय का नाम भी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रखा गया है। पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर का अधिकारी सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन केवल भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यो को देखता था। सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत इकाई स्तर का कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी रहेगा। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व मे पूर्व सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धकों के दायित्व भी सम्मिलित होंगे। नई व्यवस्था के तहत जो 10 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों की तैनाती की गयी है, उनके लिए पृथक से पद सृजित न करके शासनादेश संख्याः–956 / कृषि–1(41)2002 देहरादून दिनांक 02 अगस्त 2003 से मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय मे तैनाम सहायक निदेशक, कृषि प्रसार की नियुक्ति की गयी है। शासनादेश के अनुसार इस पद का नाम परिवर्तित कर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रखा गया है। यह अधिकारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों में तैनात किये गये हैं। 35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों के मुख्यालय उनके अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड का विवरण संलग्न–2 इंगित है।

5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों हेतु पृथक से कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किये गये हैं, बल्कि कृषि अधिकारी कार्यालयों/कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालयों/पूर्व सहायक निदेशक, जलागम कार्यालयों के स्वीकृत कर्मचारियों में से आवश्यक व्यवस्था बनाते हुए कर्मचारियों की तैनाती की गयी है जिसका विवरण संलग्न–3 पर इंगित है।

6. मुख्य कृषि अधिकारी जनपद में कृषि का नोडल अधिकारी होगा तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों, विकासखण्ड स्तरीय कर्मचारियों एवं न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियों पर इनका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। जनपद के अन्तर्गत न्याय पंचायतों, विकासखण्डों तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यक व्यवस्था उपलब्धता के अनुसार एवं कार्य की महता के अनुसार करेंगे। कृषि रक्षा अधिकारी विषय वस्तु विशेषज्ञ के साथ–साथ अन्य कार्यों जैसे समय–समय पर निरीक्षण, प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, क्षेत्र भ्रमण तथा सत्यापन आदि का कार्य भी करेंगे एवं समय–समय पर केन्द्र पोषित योजनाओं आदि के क्रियान्वयन में भागीदारी करेंगे। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों का निर्देश, संकलन एवं सूचनाओं के प्रेषण का कार्य करेगा। नई व्यवस्था में मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान मे एक अवर अभियन्ता तैनात रहेगा जो पक्के कार्यों का प्लान स्वीकृत करने/जांच/निरीक्षण करने में मुख्य कृषि अधिकारी की सहायता करेगा तथा समय–समय पर मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करेगा। उक्त के अतिरिक्त मुख्य कृषि अधिकारी/उसके अधिष्ठान के पूर्व में निर्धारित कार्यदायित्व यथावत रहेंगे।

<u>सिंगल विण्डों सिस्टम के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यदायित्वः–</u>

1. कार्यदायित्व–शासनादेश सं0 763/XIII–1–2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 के द्वारा सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। नई व्यवस्था में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पदों का पुनर्गठन किया गया है तथा पदनाम परिवर्तित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश में केवल परिवर्तित पदनामों को वर्ग–1 को सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1, वर्ग–2 को सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, वर्ग–3 को सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 एवं सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धक को कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पढा जायेगा। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकरियों के मुख्यालय एवं उनके अधीन आने वाले विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतों में संशोधन किया गया है जो कि संलग्न–2 पर है। शेष कार्यदायित्व उक्त शासनादेश के अनुसार यथावत रहेंगे।

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पदों का पुनर्गठन एवं परिवर्तित पदनामः–

1. प्रस्तावित सिंगल विण्डो सिस्टम मे अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के कर्मचारियों की तैनाती न्याय पंचायतों तक की गयी है। 670 न्याय पंचायतों हेतु इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान स्वीकृत पदों को कम करते हुए न्याय पंचायतों के लिए 670 पदों की व्यवस्थ की गयी है। इस संवर्ग के पूर्व में स्वीकृत 1237 पदों के स्थान पर 1120 पदों से ही नवीन ढॉचा तैयार किया गया है। कार्यदायित्व एवं कार्य प्रवृत्ति के अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के पद नाम (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) निम्नानुसार रखे गये है। जिसमें वर्ग–1 के कर्मचारी को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (अराजपत्रित), वर्ग–2 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 तथा वर्ग–3 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 पदनाम दिया गयाः–

क्र0 सं0	वर्ग	पूर्व पदनाम	प्रस्तावित पदनाम
01	02	03	04
01.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	प्राविधिक सहायक जलागम प्रबन्धन, वरिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी, अपर जिला कृषि अधिकारी, जैविक अपर कृषि प्रसार अधिकारी, जीवनाशी प्रबन्धन प्रभारी, जेष्ठ विपणन निरीक्षक, जेष्ठ रसायनज्ञ प्रयोगशाला प्रभारी, विश्लेषक प्रशिक्षण, वरिष्ठ शोध सहायक वनस्पति/शस्य, वरिष्ठ शोध सहायक, प्रभारी बीज	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (अराजपत्रित)

		परीक्षण प्रयोगशाला।	
02.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	उप जलागम प्रबन्धक, कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी, सहायक कृषि विकास अधिकारी, बफर प्रभारी, बीज विधायन संयत्र प्रभारी, प्रक्षेत्र प्रबन्धक, तिलहन निरीक्षक, वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्धन, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक, मृदा विश्लेषक, सहायक विश्लेषक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ शोध सहायक, शोध सहायक, बीज परीक्षक।	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (अराजपत्रित)
03.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	सहायक कृषि निरीक्षक, प्रक्षेत्र प्रबन्धक, कृषि प्रसार सहायक, जलागम सहायक, आई0पी0एम0 / कृषि रक्षा सहायक, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक, सहायक मृदा विश्लेषक, कनिष्ठ शोध सहायक, सहायक बीज परीक्षक	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (अराजपत्रित)

सिंगल विण्डों सिस्टम मे आवश्यकता के अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, 2 एवं 3 के कर्मचारियों के पदों का न्याय पंचायत स्तर तक पुनर्गठन निम्न प्रकार है (इसमे अभियंत्रण शाखा एवं सांख्यिकी के पद सम्मिलित नहीं है) :–

क्र0 सं0	कार्यालय / प्रयोगशाला / तैनाती स्थान का नाम	वर्ग–1		वर्ग–1		वर्ग–1		योग	
		पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**
01.	निदेशालय	03	12	03	01	–	–	06	13
02.	मण्डल–(2)	04	04	02	–	–	–	06	04
03.	जनपद–(13)	39	39	41	09	–	–	80	48
04.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी (35)	25	35	100	35	400	–	525	70
05.	विपणन	06	09	06	07	09	–	21	16
06.	उर्वरक एवं कीटनाशी गुणनियंत्रण प्रयोगशाला (4)	00	10	00	14	–	–	–	24
07.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (जनपदीय 13 क्षेत्रीय–2)	16	15	32	39	26	–	74	54
08.	आई0पी0एम0 प्रयोगशाला, (2)	–	04	–	04	–	–	–	08
09.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला (1)	01	02	01	02	02	–	04	04
10.	प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी (1)	10	05	–	02	08	–	18	07
11.	सम्भागीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (1)	05	03	09	03	03	–	17	06
12.	विकास खण्ड (95)	–	95	190	95	285	–	475	190
13.	कृषि प्रक्षेत्र	–	–	02	06	09	–	11	06
14.	न्याय पंचायत (670)	–	–	00	187	–	483	–	670
योग		**109**	**233**	**386**	**404**	**742**	**483**	**1237**	**1120**

नये पुनर्गठन के तहत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 की नियमावली सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग (अराजपत्रित) नियमावली कही जायेगी, जिसमें अभियंत्रण एवं सांख्यिकी शाखा सम्मिलित नहीं होंगे। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 में सभी कर्मचारियों की एक ही वरिष्ठता सूची रहेगी। वर्ग–2 से कार्य की दृष्टि से निम्नवत् 2 शाखायें रहेंगी–

(क) विकासशाखा, पौध संरक्षण, विपणन आदि के उन सभी कर्मचारियों की जिनका उल्लेख रसायन शाखा में नहीं किया गया है– कृषि विकासशाखा (अराजपत्रित) के नाम से रहेगी।

(ख) उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, आई0पी0एम0 प्रयोगशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों की रसायन एवं शोध शाखा (अराजपत्रित) के नाम से रहेगी।

पुनर्गठन में सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर पद एवं उनके कार्यों का उल्लेख संलग्न–4 हैं, सिंगल विण्डो सिस्टम का उद्देश्य संलग्न–5 पर इंगित हैं तथा वेतनमान संलग्न–6 पर इंगित हैं।

उपरोक्त संशोधन के अलावा अन्य स्थितियां शासनादेशः–956/कृषि–1(41)2002, देहरादून दिनांक 02 अगस्त 2003 के अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 3093/XXVII(7)/2010 दिनांक 28 मई 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

ह0–
(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव

संख्या–481/XIII–1/2010–3(08)/2006 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।**
3. **निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।**
4. **निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।**
5. **समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
6. **महालेखाकार, उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।**
7. **आयुक्त कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल, पौड़ी।**
8. **निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पक्र निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
9. **कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।**
10. **अपर कृषि निदेशक, (जलागम विकास), उत्तराखण्ड।**
11. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
12. **समस्य मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।**
13. **समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
14. **कृषि विभाग के समस्त अधिकारी।**
15. **वित्त वे0आ0–सा0वित्त–अनुभाग।**
16. **उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी (हरिद्वार) को राजकीय असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 200 प्रतियां उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।**
17. **अनुभाग अधिकारी गोपन (मंत्रीपरिषद अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।**

आज्ञा से
ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–1

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के अधीन विकास खण्ड एवं न्याय पंचायतों तथा उन पर तैनात सहायक कृषि अधिकारियों के पदों की संख्याः–

क्र0 सं0	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का नाम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधीन विकास खण्डों की संख्या	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड में एक पद)	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड में एक पद)	न्याय पंचायतों की संख्या	न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की संख्या	न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 के पदों की संख्या	योग (4+5+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद– पौड़ी								
1.	पौडी	3	3	3	22	3	19	28
2.	सतपुली	3	3	3	25	3	22	31
3.	कोटद्वार	3	3	3	28	3	25	34
4.	धूमाकोट	3	3	3	26	3	23	32
5.	पावौं	3	3	3	17	3	14	23
जनपद–चमोली								
6.	गोपेश्वर	3	3	3	13	3	10	19
7.	कर्णप्रयाग	3	3	3	17	3	14	23
8.	थराली	3	3	3	9	3	6	15
जनपद–रूद्रप्रयाग								
9.	अगस्तमुनी	3	3	3	27	3	24	33
जनपद–टिहरी								
10.	कीर्तिनगर	2	2	2	18	2	16	22
11.	नई टिहरी	2	2	2	18	2	16	22
12.	नरेन्द्रनगर	2	2	2	18	2	16	22
13.	चम्बा	3	3	3	21	3	18	27
जनपद–उत्तरकाशी								
14.	उत्तरकाशी	2	2	2	13	2	11	17
15.	बडकोट	2	2	2	16	2	14	20
16.	मोरी	2	2	2	7	7	–	11
जनपद–देहरादून								
17.	रायपुर	2	2	2	11	11	–	15
18.	विकासनगर	2	2	2	18	1	17	22

क्र0 सं0	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का नाम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधीन विकास खण्डों की संख्या	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड में एक पद)	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड में एक पद)	न्याय पंचायतों की संख्या	न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की संख्या	न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 के पदों की संख्या	योग (4+5+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	सहसपुर	2	2	2	11	11	–	15
जनपद–हरिद्वार								
20.	रूड़की	3	3	3	26	26	–	32
21.	हरिद्वार	3	3	3	20	20	–	26
जनपद–ऊधमसिंहनगर								
22.	रूद्रपुर	3	3	3	13	13	–	19
23.	काशीपुर	4	4	4	14	14	–	22
जनपद–नैनीताल								
24.	हल्द्वानी	3	3	3	16	13	3	22
25.	भीमताल	2	2	2	13	2	11	17
26.	धारी	3	3	3	15	3	12	21
जनपद–अल्मोड़ा								
27.	अल्मोड़ा	3	3	3	27	3	24	33
28.	भिकियासैंण	3	3	3	27	3	24	33
29.	रानीखेत	3	3	3	29	3	26	35
30.	बाडेछीना	2	2	2	12	2	10	16
जनपद–बागेश्वर								
31.	बागेश्वर	3	3	3	35	3	32	41
जनपद–पिथौरागढ़								
32.	पिथौरागढ़	3	3	3	24	3	21	30
33.	डीडीहाट	3	3	3	21	3	18	27
34.	बेरीनाग	2	2	2	19	2	17	23
जनपद–चम्पावत								
35.	लोहाघाट	4	4	4	24	4	20	32
कुल		**95**	**95**	**95**	**670**	**187**	**483**	**860**

ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–2
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के मुख्यालय एवं उसके अधीन विकास खण्डों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पूर्व स्थापित इकाई का नाम/मुख्यालय	सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का मुख्यालय	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधीन विकासखण्ड
01	02		03	04
01.	पौडी	पौडी	पौडी	पौडी, कोट, कल्जीखाल
		सतपुली	सतपुली	पोखरा, ऐकेश्वर, जहरीखाल
		दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल
		कोटद्वार	धूमाकोट	नैनीडोंडा, विरोंखाल, रिखणीखाल
			पावौं	खिर्सू, पावौं, थलीसैंण
02.	चमोली	गोपेश्वर	गोपेश्वर	घाट, दसोली, जोशीमठ
		कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग, गैरसेण, पोखरी
			थराली	नरायणबगड, देवाल, थराली
03.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनी	ऊखीमठ, जखोली, अगस्तमुनी
04.	टिहरी	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर, देवप्रयाग
		नई टिहरी	नई टिहरी	जाखडीधार, भिलंगना
		नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर, थत्यूड़
			चम्बा	प्रतापनगर, चम्बा, थौलधार
05.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	डुण्डा, भटवाडी
		बडकोट	बडकोट	नौगॉव, चिन्यालीसौड़
			मोरी	मोरी, पुरोला
06.	देहरादून	कालसी	रायपुर	डोईवाला, रायपुर
		विकासनगर	चकराता	कालसी, चकराता
			सहसपुर	विकासनगर, सहसपुर
07.	हरिद्वार	रूडकी	रूडकी	नारसन, रूडकी, भगवानपुर
			हरिद्वार	लक्सर, बहादराबाद, खानपुर
08.	ऊधमसिंहनगर	रूद्रपुर	रूद्रपुर	खटीमा, सितागंज, रूद्रपुर
			काशीपुर	काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर
09.	नैनीताल	हल्द्वानी	हल्द्वानी	हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग
		भीमताल	भीमताल	भीमताल, बेतालघाट
			धारी	धारी, ओखलकॉडा, रामगढ
10.	अल्मोडा	अल्मोडा	अल्मोडा	हवालबाग, लमगडा, ताकुला
		ताड़ीखेत	भिकियासैंण	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैण
		रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत, चौखटिया, द्वाराहाट
			बाडेछीना	भैसियाछाना, धौलादेवी
11.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड, कमकोट
12.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	विण, मुनाकोट, कनालीछीना
		डीडीहाट	डीडीहाट	धारचुला, मुनस्यारी, डीडीहाट
			बेरीनाग	बेरीनाग, गंगोहाट
13.	चम्पावत	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट, पाटी, चम्पावत, बाराकोट

ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–3
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय हेतु पदों की व्यवस्था–

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर सहायक निदेशक जलागम प्रबन्धन कार्यालयों हेतु कुल स्वीकृत पदों की संख्या	35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों हेतु कुल पद	प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय हेतु पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, श्रेणी–2	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त 2003 के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में सहायक निदेशक, कृषि प्रसार तैनात किये गये थे। इन सहायक निदेशक, कृषि प्रसार को 10 नव सृजित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।
2.	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	25 पद	35 पद	1 पद	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पुनर्गठन के अनुसार।
3.	अवर अभियन्ता	50 पद	35 पद	1 पद	प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में एक पद कुल 35 पद, मुख्य कृषि अधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत प्रत्येक में एक–एक पद तथा जनपद–पौडी एवं अल्मोडा में में दो–दो पर
4.	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	100 पद	35 पद	1 पद	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पुनर्गठन के अनुसार।
5.	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	400 पद	–	–	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पुनर्गठन के अनुसार।
6.	सहायक लेखाकार/ लेखाकार	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त 2003 के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों– चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत हेतु स्वीकृत पदों में से प्रत्येक जनपद में से एक–एक पद कुल 10 पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किये गये हैं।
7.	मुख्य सहायक	–	35 पद	1 पद	पूर्व में विभागीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त 2003 के द्वारा इकाईयों पर मुख्य सहायक का पद सृजित नहीं था। पुनः मिनीस्ट्रीयल संवर्ग के पुनर्गठन शासनादेश संख्या–720/XIII(1)/2008–1(41)/2002 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार 25 पद स्वीकृत किये गये हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोडा, पौडी एवं पिथौरागढ़ प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
8.	प्रवर सहायक	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या–720/XIII(1)/2008–1 (41)/2002 दिनांक 22. 10.2008 के अनुसार 25 पद स्वीकृत हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोडा, पौडी एवं पिथौरागढ़ प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
9.	कनिष्ठ सहायक	–	35 पद	1 पद	पूर्व में विभागीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त 2003 के द्वारा इकाईयों पर कनिष्ठ सहायक के 50 पद स्वीकृत थे। पुनः मिनीस्ट्रीयल संवर्ग के

					पुनर्गठन शासनादेश संख्या–720/XIII(1)/2008–1(41)/2002 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार 50 से स्थान पद 25 पद स्वीकृत किये गये हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, नैनीताल, उधमसिंहनगर, पौडी, अल्मोडा, चम्पावत एवं बागेश्वर प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
10.	मानचित्रक	25 पद	35 पद	1 पद	10 पदों पर वरिष्ठ एवं योग्यता धारक अनुरेखको को पदोन्नत किये जायेंगे।
11.	अनुरेखक	25 पद	–	–	अनुरेखकों के 10 पद मानचित्रक के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे, शेष 15 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों मे तैनात किये जाय। जिसमें पौडी एवं अल्मोड़ा में दो–दो एवं शेष 11 जनपदों में एक–एक संबद्ध किये जायेंगे।
12.	ड्राइवर	25 पद	35 पद	1 पद	आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा।
13.	चतुर्थ श्रेणी	100 पद	100 पद	3 अथवा 2 पद	काशीपुर, रूद्रपुर, हरिद्वार, रूडकी एवं सहसपुर में दो–दो पद तथा शेष इकाईयों में तीन–तीन पद।

ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–4
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के पदों का अधिष्ठानवार विवरण एवं कार्य

क्र0 सं0	अधिष्ठान कार्यालय	पद	कार्य
वर्ग–1 सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1			
1.	**निदेशालय**	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (बीज) 1 पद**	जनपदों से प्राप्त बीजों की मांग का संकलन करना, संकलित मांग को आवश्यक व्यवस्था हेतु उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, प्रदेश की आवश्यकतानुसार बीज की आपूर्ति/क्रय हेतु आदेश निर्गत कराना, क्रय बीजों को जनपद की मांगों के अनुसार उन्हें आवंटित करना एवं खरीफ रबी मे जोनल नेशनल कान्फ्रेंस हेतु रिपोर्ट तैयार करना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख रखना प्रक्षेत्रों हेतु बीजों की व्यवस्था प्रक्षेत्रों उत्पादन पर संकलित करना प्रक्षेत्रों का लाभ हानि का ब्यौरा रखना विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से प्राप्त ट्रायल का ब्यौरा रखना, उसके परिणाम उच्चाधिकारियों एवं बीज विमोचन कमेटी के सम्मुख रखना आदि बीजों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
		2. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (उर्वरक) **1 पद**	प्रदेश की मांग को एकत्रित करना, मांग के अनुसार उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति अधिकारियों के सम्मुख रखना, उर्वरक उत्पादकों एवं बर्फर स्टाकिस्टों एवं उनकी क्षमता का विवरण रखना, प्रदेश के थोक एवं खुदरा व्यापारियों का विवरण रखना, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वितरित उर्वरक पर उनके अनुदान बिलों को सत्यापित कर स्वीकृति हेतु रखना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना आदि। खरीफ, रबी एवं जायद पूर्व लक्ष्यों का निर्धारण, क्षेत्र आछादन आदि के लक्ष्यों का निर्धारण एवं पूर्ति का संकलन करना।

		3. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (जैविक कृषि, दैवी आपदा आदि) **1 पद**	जैविक कृषि के अन्तर्गत संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रमों का विवरण रखना शासन/केन्द्र सरकार से प्राप्त निदेशों को जारी कराना, क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना, जैविक कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्य, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना आदि। वर्षा के आंकडों का रखरखाव सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सम्बन्धित सूचना का आंकलन।
		4. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (कृषि रक्षा) **1 पद**	जनपदों की कीट एवं रोगनाशकों रसायनों एवं जैविक कीट रोगनाशकों की मांग संकलित करना उसे उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय–समय पर रसायनों के क्रय सम्बन्धी निविदों से सम्बन्धित कार्यवाही अधिकारियों के सम्मुख लाना, समय–समय पर जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
		5. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (निगरानी) **1 पद**	समय–समय पर लगने वाले कीट एवं रोग के बारे में निर्देश जारी कराना, क्षेत्रों में लगने वाले कीट/रोगों की सूचना उच्च अधिकारियों के सम्मुख लाना, किसी बडे महामारी/कीट प्रकोप की सम्भावना को देखते हुए उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी करवाना, फसलों को कीट रोगों से बचाने हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करवाना।
		6. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (गुण नियंत्रण) **1 पद**	उर्वरक कीट एवं रोगनाशी रसायनों सूक्ष्म पोषक तत्व एवं बीज आदि के समय–समय पर लिये जाने वाले नमूनों के लिए निर्देश जारी कराना, समय–समय पर लिये गये नमूनों की सूचना एकत्रित करना तथा उसकी स्थिति उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, किसी भी परीक्षण के अमानक होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध गुण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना, प्रयोगशालाओं में परीक्षण पर लगने वाले रसायनों की मांग एवं पूर्ति का विवरण उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, आवश्यकता अनुसार उपकरणों की ई0एम0सी0 की कार्यवाही कराना।
		7. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (मृदा परीक्षण) **1 पद**	मृदा परीक्षण से सम्बन्धित शासन एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों को जनपदों को भेजना, मृदा परीक्षण हेतु आवश्यक रसायनों एवं उपकरणों की मांग, आपूर्ति अधिकारियों के सम्मुख रखना, प्रयोगशालाओं से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर अधिकारियों के सम्मुख रखना आदि मृदा परीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
		8. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (धान्य, फसलें, स्थानीय प्रजातियां, नकदी फसलें एवं कृषि यंत्र) **1 पद**	भारत सरकार द्वारा समय–समय पर धान्य फसलों जैसे गेंहू, धान, मक्का आदि के उत्पादन बढ़ाने हेतु जारी सुविधाओं को जनपदों को भिजवाना धान्य फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु क्षेत्र के अनुसार उचित फसल प्रबन्धन अधिकारियों के संज्ञान में लाना तथा निर्देशानुसार जनपदों को भिजवाना, इन फसलों पर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर देय अनुदान की जानकारियां जनपदों को पहुॅचाना, स्थानीय प्रजातियां जैसे–मंडुवा, सांवा, रामदाना आदि एवं नकदी फसलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों के सम्मुख रखना, इन फसलों को बढावा देने हेतु यथा आवश्यक प्रदर्शनों एवं धनराशि की मांग करना, स्वीकृति की दशा में जनपदों को पहुॅचाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।

		9. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (नियोजन) **1 पद**	विभिन्न योजनायें तैयार करना। समय–समय पर आवश्यतकाओं को देखते हुए कार्यों का नियोजन करना, उन्हें अधिकारियों के सम्मुख रखना, जनपदों से कार्य के प्लान मांगना उसके औचित्य सहित अधिकारियों के सम्मुख रखना, भारत सरकार को समय–समय पर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भेजना, प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों को बनाना तथा उन्हें उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, रोजगार परक फसलों के उत्पादन की कार्य योजना तैयार करना, समय–समय पर चलायी जा रही योजनाओं की कार्य योजनायें तैयार कर उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना तथा उन्हे जनपदों को भिजवाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
		10. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (तकनीकी सम्प्रेक्षण) **1 पद**	क्षेत्र में कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का समय–समय पर तकनीकी आडिट किया जाता है। अतः सम्बन्धित कर्मचारी तकनीकी टीम के साथ निर्दिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी सम्प्रेक्षण हेतु जायेगी तथा टीम के साथ साथ सम्प्रेक्षण का कार्य करेगी, तकनीकी आडिट के बाद रिपोर्ट को संकलित कराने में सहयोग करेगी, समय–समय पर तकनीकी आडिट के कारण प्रकाश में आयी हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में तकनीकी आख्या देना।
		11. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण) **1 पद**	समय–समय पर विभाग में नवीनतम योजनायें एवं नवीनतम कार्यक्रम संचालित किये जाते है अधिकारी का दायित्व होगा कि वह योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक निर्देश बनाते हुए उन्हें उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखे, समय–समय पर समाचार पत्रों, विज्ञापन ऐजेंसियों एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रचारित किये जाने वाले सामग्री का संकलन कर उसको सम्बन्धित ऐजेंसियों को सुनिश्चित तरीके से उपलब्ध कराना, विभाग द्वारा विभिन्न ऐजेंसियों को जो प्रचार–प्रसार सामग्री दी जाती है को सुनिश्चित कराना, समय–समय पर लगने वाले मेले, स्टालों एवं महोत्सवों हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार की सामाग्री को उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखते हुए व्यवस्था करना। कृषि कर्मचारियों को समय–समय पर भूमि एवं जल संरक्षण, आई0पी0एम0 गुण नियंत्रण, फसलोत्पादन, जैविक कृषि, अन्न भण्डारण आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, इन प्रशिक्षणों का रोस्टर बनाना उसे उच्चाधिकारियों से स्वीकृत कराकर जनपदों को भिजवाना, प्रशिक्षण के बाद कर्मचारिवार प्रशिक्षण की रिपोर्ट रखना, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित कराये जाने वाले प्रशिक्षणों का ब्यौरा रखते हुए उसे जनपदों तक भिजवाना। खरीफ, रबी एवं जायद से पूर्व लक्ष्यों/अभियान की बुकलेट तैयार करना एवं समय–समय पर प्राप्त सभी प्रगत सूचनाओं का संकलन कर तैयार करना।
		12. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (जलागम) **1 पद**	भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धि भारत सरकार एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों को जनपद स्तर पर भिजवाना, विभिन्न योजनाओं मे उपलब्ध धनराशि के अनुसार किये जाने वाले कार्यों की स्थिति उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखना, क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना तथा उन्हें उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखना आदि कार्य।
योग		**12 पद**	

2.	**मण्डल स्तर अपर कृषि निदेशक, पौडी एवं संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी**	**1. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (सामान्य) **2. पद** (अ0कृ0नि0, पौडी–1 एवं सं0कृ0नि0, हल्द्वानी–1)	जनपदों से बीज उर्वरक, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन आदि की मांग एकत्र करना, उसे निदेशालय स्तर को भेजना। वितरित कृषि निवेशों की सूचनायें जनपद से मंगा कर उसका संकलन तैयार कर निदेशालय स्तर को भेजना, प्रदर्शन कीट/रोग एवं प्रशिक्षण आदि की जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर निदेशालय को भेजना। संयुक्त कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक, के निर्देशानुसार क्षेत्रों में निरीक्षण/सत्यापन का कार्य करना। यह कर्मी कृषि एवं कृषि रक्षा, प्रक्षेत्र आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संकलन आदि करेगा।
		1. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (भूमि एवं जलसंरक्षण) **2. पद** (अ0कृ0नि0, पौडी–1 एवं सं0कृ0नि0, हल्द्वानी–1)	उच्च स्तर से भूमि संरक्षण, जल संरक्षण सम्बन्धी प्राप्त निर्देशों को जनपदों को भिजवायेंगे तथा जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे। अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देशानुसार समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण, सत्यापन एवं निरीक्षण आदि कार्य।
		योग – 4 पद	
3.	**जनपद (मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय)**	1. **सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (सामान्य)** **13 पद (प्रत्येक जनपद में एक)**	बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि निवेशों की व्यवस्था बनाना। विकास खण्डों/तहसीलों से प्राप्त मांग को संकलित कर निदेशालय/मण्डल स्तर पर भेजना तथा मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा आपूर्ति होने पर विकास खण्डों/न्याय पंचायतों को आवंटित करना। समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षणों का विकास खण्डवार आयोजन करना एवं विकास खण्डों एवं तहसीलों से प्राप्त प्रदर्शन परिणामों एवं सूचनाओं का संकलन कर मण्डल एवं निदेशालय को उपलब्ध कराना, समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना।
		2. **सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (कृषि रक्षा)** **13 पद (प्रत्येक जनपद में एक)**	विकास खण्डों से कृषि, कीट नाशक, रोग नाशक, खरपतवार नाशक एवं फफूंद नाशक आदि रसायनों की मांग एकत्रित करना एवं उसे मण्डल एवं प्रदेश स्तर को भिजवाना तथा आपूर्ति सुनिश्चित कराना। क्षेत्र में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण हेतु समय–समय पर प्राप्त निर्देशों को क्षेत्र स्तर पर पहुॅचाना किसी भी कीट/रोग के नियंत्रण हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही कराना। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का आवंटन एवं क्षेत्र से प्राप्त प्रदर्शन परिणामों को संकलित कर मण्डल एवं राज्य स्तर को भेजना, समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना। आदि कार्य।
		3. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (भूमि एवं जल संरक्षण) **13 पद (प्रत्येक जनपद में एक पद)**	प्रदेश एवं मण्डल स्तर से भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी प्राप्त निर्देशों को विकास खण्ड/तहसील स्तरों तक भेजना। स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी करना। क्षेत्र में किये गये कार्यों की सूचना एकत्रित कर संकलित करना तथा मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर सूचना भेजना। समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना।
		योग– 39 पद	

4.	**कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय** (इकाई/तहसील)	**1. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 35 पद प्रत्येक कार्यालय में 01 पद**	कार्यदायित्व शासनादेश संख्या 763/XIII–1/2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 में दिये गये हैं।
		योग– 35 पद	
5.	**विकास खण्ड स्तर**	**1. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 95 पद प्रत्येक विकासखण्ड में 01 पद**	कार्यदायित्व शासनादेश संख्या 763/XIII–1/2008–03(8)/ 2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 में दिये गये हैं।
6.	**उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (विश्लेषक उर्वरक) **4 पद, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (विश्लेषक कीटनाशी) **4 पद एवं सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (तकनीशियन) **2 पद कुल–10 पद**	उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर, एवं रूद्रपुर– प्रत्येक में 2 कुल–4 पद, कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर एवं रूद्रपुर– प्रत्येक में 2 कुल–4 पद, सहायक कृषि अधिकारी (तकनीशियन उपकरण) श्रीनगर–1 एवं रूद्रपुर–1 कुल–2 पद, प्रयोगशालाओं में उर्वरक, सूक्ष्मतत्व, कीट रोग एवं खरपतवारनाशी आदि प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना, अभिलेख रखना, तथा विश्लेषण की सूचना सम्बन्धितों को भेजना। सहायक कृषि अधिकारी तकनीशियन का कार्य प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु रखे गये उपकरणों की देख–रेख एवं उनसे सुव्यवस्थित कार्य लिया जा सके को देखना आदि।
7.	**मृदा परीक्षण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (मृदा परीक्षण) **15 पद** (11 जनपदों में प्रत्येक में एक–एक पद एवं दो मण्डलीय प्रयोगशाला रूद्रपुर एवं श्रीनगर में दो–दो पद)	कृषकों से, न्याय पंचायतों, विकास खण्डों से प्राप्त मिट्टी के नमूनों की जांच करना, इनके परिणाम बनाना, अभिलेख रखना एवं विश्लेषित परिणामों को प्रेषक स्त्रोतों को वापस करना। कम्पोष्ट खाद वर्मी कम्पोष्ट एवं जैविक खाद का विश्लेषण करना। प्रयोगशाला के उपकरणों की देखरेख एवं व्यवस्थित करना ताकि इनसे सही प्रकार से कार्य कर सके। परीक्षण हेतु आवश्यक रसायनों एवं उपकरणों की मांग भेजना एवं उसकी व्यवस्था करना आदि कार्य।
8.	**आई0पी0एम0 प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (आई0पी0एम0) **4 पद** (दो पद आई0पी0एम0 लैब, भीमताल एवं दो पद आई0पी0एम0 लैब, देहरादून)	इन्टीग्रेटीव प्रेस्ट मैनीजमेंट (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन) के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों को करना। नाशी जीव प्रबन्धन को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखना। आवश्यकता पडने पर क्षेत्र में आपूर्ति करना। प्रयोगशाला से खेतों तक परीक्षण करना एवं प्रयोगशाला उपकरणों का उचित देख–रेख करना।
9.	**बीज परीक्षण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1** (बीज परीक्षण) **2 पद**	बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के बीज के नमूनों की जांच करना जिसमें आकस्मिक छापे के दौरान भेजे गये नमूने सैंपलिंग के रूप में लिये गये नमूने एवं कृषकों द्वारा प्रेषित नमूने सम्मलित है। प्राप्त नमूनों का विश्लेषण कर इनके अभिलेख रखना एवं विश्लेषण की सूचना प्राप्त स्त्रोत को भेजना। प्रयोगशाला उपकरणों का सुनिश्चित रख–रखाव आदि कार्य शामिल है।
10.	**प्रशिक्षण केन्द्र**	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रशिक्षण) 5 पद**	प्रदेश में वर्तमान में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौडी में है, जिसमें समय–समय पर अधीनस्थ कृषि के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में कृषि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाये जाते है। जिसमें भूमि संरक्षण, जल प्रबन्धन, फसलोंत्पादन, मृदा विज्ञान, श्स्य विज्ञान, ड्राई फार्मिंग, कृषि रक्षा एवं जैविक कृषि आदि विषयक पढाये जाते हैं एवं सम्बन्धित पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों को समय–समय पर नवीनतकनीकी जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

			चलाया जाता है। केन्द्र पर नियुक्त कृषि अधिकारी, वर्ग–1 विभिन्न विषयों पर तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।
11.	**सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र**	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (अनुसंधान) 3 पद**	विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से समय–समय पर विभिन्न प्रकार की फसलों एवं प्रजातियों के ट्रायल परीक्षण हेतु भेजे जाते है। इन ट्रायलों का प्रदेश की विभिन्न जलवायु में बोकर परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए यह ट्रायल प्रदेश में स्थिति विभिन्न छ फार्मों में कराये जाते है इन ट्रायलों का तकनीकी परीक्षण करना होता है, ताकि इसके वास्तविक परिणाम सामने आये। इन परिणामों के आधार पर इन परिणामों को बीज विमोचन समिति के सम्मुख रखा जाता है, समिति द्वारा उच्चीत प्रजाति को अथवा सफल प्रजाति को क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह विशिष्ठ एवं तकनीकी प्रकार का कार्य है। वरिष्ठ तकनीकी जानकारी वाले कर्मचारी स्वयं की देख–रेख में परीक्षणों का आयोजन करायेंगे तथा इनके परिणाम शोध संस्थान/विश्वविद्यालयों/विभाग को प्रेषित करायेंगे।
12.	**विपणन**	**1. सहायक कृषि अधिकारी (ज्येष्ठ रसायनज्ञ एवं विपणन) जनपद देहरादून एवं नैनीताल प्रत्येक में एक–एक कुल–2 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (वर्गीकरण) रामनगर 1, किच्छा 1, काशीपुर 1, मंगलौर 1, रूडकी 1, कुल–5, कुल योग–9**	एगमार्क प्रयोगशाला तथा मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान देहरादून एवं नैनीताल–सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विपणन/ज्येष्ठ रसानज्ञ) का एक–एक पद, मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान में मण्डी स्तर सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विपणन) हरिद्वार एवं ऊध्मासिंहनगर प्रत्येक में एक–एक पद तथा मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान में मण्डी स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (वर्गीकरण) के पांच पद, (रामनगर, किच्छा, काशीपुर, मंगलौर, रूड़की– प्रत्येक में एक–एक पद) विपणन में प्रत्येक दिन अनाजों एवं सब्जियों की दर मण्डियों से संकलित करना उन्हें प्रत्येक सप्ताह प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को सूचित करना। बाजार में उपलब्ध उत्पादों को वर्गीकृत करना तथा उनकी दन निर्धारित करवाना। नई मण्डीयों को खोलने हेतु मण्डी के साथ सहयोग करते हुए सर्वेक्षण करना। प्रयोगशालाओं में एगमार्क की ग्रेडिंग करना, कामर्शियल ग्रेडिंग करना, दर सत्यापित कर डब्ल्यू0पी0डी0 को भेजना आदि कार्य।
		वर्ग–1 का कुल योग–233 पद	

वर्ग–2 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2			
13.	**निदेशालय**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (**विधायी/तिलहन दलहन एवं व्यवस्था**) 01 पद**	तिलहनीय एवं दलहनीय फसलों के उत्पादन बढाने हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना तथा उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाना, भारत सरकार से एवं प्रदेश सरकार से इन फसलों के सुधार हेतु जो भी प्रयास आते है, उन्हें जनपदों तक पहुॅचाना, समय–समय पर आयोजित करने के लिए निर्देश जारी कराना प्राप्त फसल परिणामों की समीक्षा प्रदेश में दलहनी/तिलहनी फसलों के लिए कार्य योजनायें तैयार करना तथा उच्च स्तर से स्वीकृति के बाद जनपदों को भिजवाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना। निदेशालय स्तर पर लोकसभा, विधानसभा, प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त करना एवं प्रेषित करना। निदेशालय स्तर पर विभिन्न आवश्यक व्यवस्थायें, वी0आई0पी0 कार्यक्रम आदि सम्मिलित रहेंगे।
14.	**जनपद**	**1. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (कृषि निवेश, आपूर्ति) 09 पद जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, एवं ऊधमसिंहनगर को छोडकर शेष जनपदों में एक–एक पद, उपरोक्त अंकित 4 जनपदों में जनपद मुख्यालय में आने वाले विकासखण्ड का सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (भण्डार प्रभारी) जनपद के लिए भी कृषि निवेश आपूर्ति का कार्य करेगा।**	प्रदेश स्तर से आवंटन के अनुसार विभिन्न बीज उत्पादक श्रोतों प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर से आंवटित बीजों का उठान कर जनपद के बफर में लाना जनपद के बफर से विकास खण्डों के भण्डारों तक रबी, खरीफ एवंज ायद की बुवाई से पूर्व समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना। कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा यंत्रों, जैव उर्वरकों, सूक्ष्म तत्वों का उठान प्रदेश से प्राप्त आवंटनानुसार करना तथा विकास खण्डों को आवंटनानुसार समय से आपूर्ति करना। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करना तथा उसे सम्बन्धित विकास खण्डों तक पहुॅचाना। समस्त प्राप्त सामाग्री के विरूद्ध स्टोर रसीद निर्गत करना, आपूर्तित भण्डारों को बिल निर्गत करना, उनसे भण्डार रसीदें प्राप्त करना, वर्ष के अन्त में सम्बन्धित की बैलेंस सीट तैयार करना एवं मुख्य कृषि अधिकारी के सम्मुख रखना आदि कार्य।
		2. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (प्रक्षेत्र प्रबन्धन**) 6 पद** प्रत्येक कृषि प्रक्षेत्र पर एक पद–खटीमा, रूद्रपुर, (उधमसिंहनगर), थल (पिथौरागढ़), नौथा (टिहरी), पंवालिया (रूद्रप्रयाग), सिरोर (उत्तरकाशी) एवं ढकरानी (देहरादून)	प्रदेश में छः राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति एवं जैविक बीजों के उत्पादन का कार्य होता है। इस कार्य हेतु बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक प्रक्षेत्र पर एक पद रखा गया है। जिसका उत्तरदायित्व होगा कि प्रक्षेत्र की जलवायु एवं मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार उचित प्रजातियों की मांग करना, उनका उत्पादन करना, उनका प्रमाणिकरण कराना तथा विधायन के बाद वितरण हेतु कृषि निदेशक के निदेशानुसार उपलब्ध कराना। फार्म सम्बन्धी समस्त कार्यों अभिलेखों का रखरखाव और सम्पत्ति की देख–रेख एवं प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैलेंस सीट बनाकर प्रस्तुत करना आदि कार्य।

15.	**कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी** (इकाई/तहसील स्तर)	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 35 पद** प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में एक–एक पद	कार्यदायित्व शासनादेश संख्या 763/XIII–1/2008–03(8)/ 2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 में दिये गये हैं।
16.	**विकास खण्ड**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 35 पद** प्रत्येक विकास खण्ड कार्यालय में एक–एक पद	कार्यदायित्व शासनादेश संख्या 763/XIII–1/2008–03(8)/ 2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 में दिये गये हैं।
17.	**न्याय पंचायत**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 187 पद**	(विवरण निम्न प्रकार है प्रदेश के प्रत्येक मैदानी न्याय पंचायतों पर–जनपद देहरादून में डोईवाला–5, सहसपुर–6, विकासनगर–5, रायपुर–6, कालसी–4 **कुल 26** जनपद हरिद्वार की **समस्त 46,** जनपद उधमसिंहनगर की **समस्त 27,** जनपद नैनीताल में विकासखण्ड हल्द्वानी की 6, रामनगर की 6, कोटाबाग की 2 **कुल 13** तथा शेष विकास खण्ड मुख्यालय की 76 न्याय पंचायतों पर एक–एक **कुल योग–187**) कार्यदायित्व शासनादेश संख्या 763/XIII–1/2008–03(8)/ 2008 दिनांक 20 नवम्बर 2008 में दिये गये हैं।
18.	**उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला गढ़वाल एवं कुमॉऊ**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (विश्लेषक उर्वरक) **7 पद,** **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (विश्लेषक कीटनाशी) **7 पद कुल 14 पद** (उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर–3, रूद्रपुर–4, कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर–3, रूद्रपुर–4)	इन प्रयोगशालाओं में कीट रोग एवं खरपतवार नाशी उर्वरक एवं सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण होता है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के साथ सहयोग करते हुए करना। परीक्षण रिपोर्ट की सूचना तैयार करना, अभिलेखों का रख रखाव एवं प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना।
19.	**मृदा परीक्षण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (मृदा परीक्षण) **39 पद**	जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला चम्पावत–2, बागेश्वर–2, रूद्रप्रयाग–2, अल्मोडा–3, नैनीताल–3, पिथौरागढ–3, चमोली–3, टिहरी–3, उत्तरकाशी–3, देहरादून–3, हरिद्वार–3 एवं क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (पौडी)–4, उधमसिंहनगर–5 कर्मचारी तैनात किये गये है। सम्बन्धित प्रयोगशालाओं में कृषकों के खेतों से प्राप्त मृदा नमूनों आदि का विश्लेषण करेंगे। मृदा संचल वाहन क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर एवं श्रीनगर में रखे गये है। इन वाहनों हेतु इन जनपदों की प्रयोगशालाओं में तैनात कर्मचारी ही वाहनों में बैठकर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तथा यथासमय कृषकों के सम्मुख ही मृदा परीक्षण कर अवगत करायेंगे।
20.	**आई0पी0एम0 प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (आई0पी0एम0)	इन्टीग्रेटीव प्रेस्ट मैनीजमेंट (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन) के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के सहयोग से करना। एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन को प्रयोगशाला में सुरक्षित

		4 पद (ढकरानी–2, भीमताल–2)	रखना। आवश्यकता पडने पर क्षेत्र में आपूर्ति करना। प्रयोगशाला से खेतों तक परीक्षण करना।
21.	**बीज परीक्षण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (बीज परीक्षण) **2 पद**	बीज परीक्षण प्रयोगशाला में प्राप्त बीजों के नमूनों का सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के सहयोग से परीक्षण करना। जमाव प्रतिशत, शुद्वता आदि का परीक्षण करना। इसकी सूचना तैयार करना एवं अभिलेख तैयार करना।
22.	**प्रशिक्षण केन्द्र**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (प्रशिक्षण) **2 पद**	वर्तमान में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौडी मे स्थित है। जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाते है। यह कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी अधिकारी का सहयोग करते हुए प्रशिक्षण का कार्य सम्पादन करेंगे।
23.	**सम्भागीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (प्रदर्शन एवं शोध) **3 पद**	विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से समय–समय पर विभिन्न प्रकार की फसलों एवं प्रजातियों के ट्रायल परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं इन ट्रायलों का प्रदेश की विभिन्न जलवायु में बोकर परीक्षण किया जाता है, जिसके लिये यह ट्रायल प्रदेश में स्थित विभिन्न छः फार्मों मे कराये जाते हैं इन ट्रायलों का तकनीकी परीक्षण कराना होता है, ताकि इसके वास्तविक परिणाम सामने आये। इन परिणामों के आधार पर परिणामों को बीज विमोचन समिति के सम्मुख रखा जाता है, समिति द्वारा उचित प्रजाति को अथवा सफल प्रजाति को क्षेत्र विशेष के लिये अनुमोदित किया जाता है। इन कर्मचारियों द्वारा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के निर्देशन/सहयोग से उक्त के क्रम में विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन एवं परीक्षण किया जायेगा तथा इनके परिणामों का अभिलेखन किया जायेगा।
24.	**विपणन**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2** (वर्गीकरण) विकासनगर 1 ऋशिकेश 1, कोटद्वार 1, सितारगंज 1, गदरपुर 1, खटीमा 1, बाजपुर 1, **कुल–7**	प्रदेश में मुख्य कृषि अधिकारी के अधीन कृषि विपणन के मण्डी स्तर हेतु जहाँ पर कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अनाजों एवं सब्जियों की दर संकलित की जाती है तथा दर सत्यापित कर डब्ल्यू0पी0डी0 को भेजी जाती है।
वर्ग–2 का कुल योग– 404 पद			
वर्ग–3 सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3			
25.	**न्याय पंचायत**	**सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3** **483 पद**	पर्वतीय क्षेत्र की न्याय पंचायतों में तैनाती की जायेगी। कार्यदायित्व शासनादेश सं0– 763/XIII–1/2008–03(8)/ 2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये है।

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई 2010 संलग्नक–5
सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित हैं तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें हैं। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में भी काफी अन्तर हैं कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुचाने के लिये प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यों के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण/जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यों का पृथक–पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कर्मियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

1. **वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिये प्रदेश की कृषि का एक नवीनीकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।**
2. **पूर्व ढांचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढांचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सकें।**
3. **क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहे थे, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया।**
4. **कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे–बीज निगम बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर सामन्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।**
5. **पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।**
6. **आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।**
7. **उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।**
8. **कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।**
9. **कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।**
10. **प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाना।**
11. **जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।**
12. **कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। ताकि लैब टू फील्ड एवं फील्ड टू लैब के पैटर्न पर तथा ट्रेनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सके। इसके लिये न्याया पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुदृढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकीनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पायेगाा उनके लिये विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पक्र समस्याओं का समाधान करेगाा। जो समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पक्र कर करेगाा। जिसके लिये न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा तथा किसान कॉल सेन्टर/टाल फ्री नम्बर के माध्यम से भी कृषकों की समस्याओं के समाधान करेगाा।**
13. **न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवो का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगाा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिकी आदि के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में उसका, तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन आरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप से लागू हो सके। इसके लिये न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।**
14. **न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।**

15. सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जायेगाा। जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिये कृषकों के मध्य सम्पक्र कृषक/प्रचार–प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।

16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिये कर्मचारी निष्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा, जहां आवश्यकतानुसार पर कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 481/कृषि 3(8)2006 दिनांक 28 मई 2010 का संलग्नक–6

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग, वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (अभियन्त्रण एवं सांख्यिकी शाखा को छोड़कर) के वेतनमान का विवरण :–

पदनाम	छठवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (रू0 में)	अभ्युक्ति
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुये हैं।
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुये हैं।
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुये हैं।

ह0–
(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 1164/XIII–1/2010–1(41)2002

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 24 नवम्बर, 2010

विषयः– कृषि विभाग (मिनिष्ट्रियल सम्वर्ग) के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 1703/स्था–2/मिनि0पुनर्गठन/2010–11 दिनांक 16 जून 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/xxx(2) 2010 दिनांक 11 फरवरी, 2010 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–1165/xxx(2) 2010 दिनांक 27 सितम्बर 2010 के क्रम मे निहित व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि विभाग मिनिष्ट्रियल सम्वर्ग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए स्टाफिंग पैटर्न निम्न प्रकार लागू किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे	वर्तमान में कुल स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत
1–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	01	06	20 प्रतिशत के अन्तर्गत
2–	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200	26	49	
3–	मुख्य सहायक	5200–20200	2800	69	49	18 प्रतिशत के अन्तर्गत
4–	प्रवर सहायक	5200–20200	2400	82	82	30 प्रतिशत के अन्तर्गत
5–	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	96	88	32 प्रतिशत के अन्तर्गत
	योग	**–**	**–**	**274**	**274**	

2– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या– 1164 / XIII–1 / 2010–1(41)2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महोलेखाकार, (लेखा परीक्षा) इन्द्रानगर, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमाऊ मण्डल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
9– वित्त अनुभाग–4, 7 एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– एन0आई0सी0 / पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से
ह0–
(अतर सिंह)
उपसचिव

संख्या– 1270 / XIII–1 / 2010–1(41)2002

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010**

विषयः– कृषि विभाग (मिनिष्ट्रियल सम्वर्ग) के 274 पदों को कार्यालयवार पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 1703 / स्था–2 / मिनि0पुनर्गठन / 2010–11 दिनांक 16 जून 2010 एवं शासन के पत्र संख्या–1164 / XIII–1 / 2010–1(41)2002 दिनांक 24 नवम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग मिनिष्ट्रियल सम्वर्ग के 274 पदों की जनपदवार / कार्यालयवार फांट संलग्न विवरणानुसार स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 2010 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0–
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या– 1164 / XIII–1 / 2010–1(41)2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महोलेखाकार, (लेखा परीक्षा) इन्द्रानगर, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमाऊ मण्डल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
9– वित्त अनुभाग–4, 7 एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– एन0आई0सी0 / पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से
ह0–
(अतर सिंह)
उपसचिव

संख्या– 1270/XIII–1/2010–1(41)2002 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक।

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वरि0प्र0अधि0	प्र0अ0	मुख्य सहायक	प्रवर सहायक	कनिष्ठ सहायक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि निदेशक, देहरादून	1	8	9	10	16	44
2.	अपर कृषि निदेशक, पौड़ी	1	4	1	1	3	10
3.	संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी	1	4	1	1	3	10
4.	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	1	3	1	3	2	10
5.	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	–	2	–	3	2	7
6.	मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग	–	2	–	2	1	5
7.	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	–	2	–	3	2	7
8.	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–	3	–	2	2	7
9.	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	1	3	1	3	2	10
10.	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	–	2	–	3	2	7
11.	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	–	3	–	3	1	7
12.	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	–	2	–	2	1	5
13.	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	–	2	–	2	1	5
14.	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	1	4	1	2	2	10
15.	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	–	2	–	2	4	8
16.	मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर	–	2	–	2	3	7
17.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी (35 कार्यालय)	–	–	35	35	35	105
18.	आई0पी0एम0प्रयो0 देहरादून/भीमताल (2)	–	–	–	–	2	2
19.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर/रूद्रपुर (2)	–	1	–	–	2	3
20.	रा0भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी	–	–	–	1	–	1
21.	उर्व0एवं कीट0गु0नि0प्रयो0 श्रीनगर/रूद्रपुर (2)	–	–	–	2	–	2
22.	सम्भागीय प्र0एवं प्रशि0केन्द्र, हल्द्वानी	–	–	–	–	1	1
23.	मुख्य राजस्व आयुक्त, देहरादून	–	–	–	–	1	1
	कुल योगः–	**6**	**49**	**49**	**82**	**88**	**274**

ह0–
(अतर सिंह)
उपसचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 **देहरादूनः दिनांक 16 जनवरी, 2013**

विषयः– उत्तरखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 1900	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 2000
2	प्रवर सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 2400	वरिष्ठ सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 2800
3	मुख्य सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹ 2800	प्रधान सहायक	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4800
6	–		मुख्य प्रशासनिक अधिकरी	₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400

2– कलक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹ 67000–3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर–79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से रखा जायेगा।

3– लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मि विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4– उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,
ह0–
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव